



सत्यमेव जयते

# वार्षिक लेखा 2015-2016

पृथक सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट  
एवं प्रबंधन के उत्तर सहित



## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

**भारत सरकार**

एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने,  
नई दिल्ली-110012

[www.plantauthority.gov.in](http://www.plantauthority.gov.in)





# वार्षिक लेखा 2015-16



## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग  
नई दिल्ली - 110012



# विषय सूची


क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन-पत्र.....	1
2.	आय और व्यय का लेखा.....	2
3.	प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा.....	3-4
4.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां.....	5-15
5.	आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां.....	16-22
6.	पूर्व अवधि समायोजन लेखा (अनुबंध क).....	23
7.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध ख).....	24-28
8.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण (अनुबंध ग).....	29
9.	नए डीयूएस केन्द्रों से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध घ).....	30-33
10.	नए डीयूएस केन्द्रों को अदा की जाने वाली राशि का विवरण (अनुबंध ङ).....	34
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध च).....	35
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि का विवरण (अनुबंध छ).....	36
13.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि का विवरण (अनुबंध ज).....	37
14.	प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशगी (अनुबंध झ).....	38-50
15.	बाहरी व्यक्तियों को पेशगी (अनुबंध ट).....	51
16.	स्टाफ को पेशगी (अनुबंध ठ).....	52
17.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध ड/क).....	53
18.	अदा की गई अन्य प्रेशन (अनुबंध ड/ख).....	54
19.	प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी की वापसी (अनुबंध ढ).....	55
20.	पीपीवी और एफआरए की उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां (अनुसूची 24).....	56-58
21.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों की टिप्पणियां (अनुसूची 25).....	59.63
22.	कैग की पृथक लेखा रिपोर्ट.....	64-68
23.	प्रबंधक वर्ग का उत्तर.....	69-74



## 31 मार्च 2016 को तुलन पत्र

राशि (रूपये में)

कॉर्पस/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	28,53,60,795	19,20,05,727
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	2	-	-
निर्धारित/स्थायी निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	15,28,45,257	11,19,07,885
<b>योग</b>		43,82,06,052	30,39,13,612
<b>परिसम्पत्तियां</b>			
अचल परिसम्पत्तियां	8(A)	2,99,77,679	2,95,48,719
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास		24139774	2,29,26,480
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		58,37,905	66,22,239
पूंजीगत कार्य में प्रगतियां	8(B)	1,78,38,219	1,78,38,219
निवेश – निर्धारित/स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य से	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	11	41,45,29,928	27,94,53,154
फुटकर व्यय		-	-
(जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हो)			
<b>योग</b>		43,82,06,052	30,39,13,612
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




आर.आर. हंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि (रूपये में)

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान/सहायता	13	15,81,15,040	15,92,47,151	1,85,00,000	85,00,000
शुल्क/चंदा	14	2,98,49,800	2,34,34,050	76,65,296	53,16,755
निवेशों से हुई आय	15	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,42,88,012	90,89,595	23,11,840	19,02,950
अन्य आय	18	60,15,80	5,92,111	-	24,750
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	19	-	-	-	-
<b>आस्थगित आय (अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास)</b>		<b>12,13,294</b>	<b>19,64,351</b>	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		55,43,859	-	13,04,000	62,776
<b>कुल (क)</b>		<b>20,96,11,585</b>	<b>194,327,258</b>	<b>29,781,136</b>	<b>1,56,81,679</b>
<b>व्यय</b>					
स्थापना व्यय	20	4,91,52,403	4,43,66,494	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	21	45415679	4,29,38,870	-	-
अनुदान/चंदों आदि पर हुआ व्यय	22	4,94,60,328	7,69,77,128	-	-
ब्याज	23	10,985	8,223	630	762
मूलह्रास (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		12,13,294	19,64,351	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		-	10,21,682		
<b>योग (ख)</b>		<b>145252689</b>	<b>1,67,276,748</b>	<b>630</b>	<b>762</b>
<b>व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क-ख)</b>		<b>6,43,58,896</b>	<b>2,70,50,510</b>	<b>2,97,80,506</b>	<b>1,56,80,917</b>
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		-	-	-	-
<b>कॉर्पस/पूंजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)</b>		<b>6,43,58,896</b>	<b>2,70,50,510</b>	<b>2,97,80,506</b>	<b>1,56,80,917</b>
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




## 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं अदायगियां

राशि (रूपये में)

वार्षिक लेखा 2015-16

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>1. आदिशेष</b>			<b>1. व्यय</b>		
क. मौजूद नकद राशि	44,593	15,000	क. स्थापना व्यय	2,01,67,178	2,28,87,246
ख. बैंक अधिशेष			ख. प्रशासनिक व्यय	2,15,06,248	1,88,64,275
एसबीआई (मोड लेखा सहित)	6,49,78,652	3,18,54,153			
सिंडिकेट बैंक	74,53,097	26,29,758	<b>2. निधियों के विरुद्ध अदायगियां</b>		
लेन-देन में वापसी	19,630	34,372	क. विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ख व ग)	3,91,79,207	3,35,98,052
एस बी आई जीन निधि	2,41,57,718	1,60,10,435	ख. नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध घ व ङ.)	2,15,16,314	2,65,58,725
गुवहाटी बैंक	19,910	14,409	ग. संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध च)	-	-
रांची बैंक	3,024	2,498	घ. फील्ड जीन बैंक (अनुबंध छ व ज)	31,13,386	29,14,030
<b>2. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान</b>	15,85,44,000	16,00,00,000	<b>3. अचल सम्पत्तियों पर व्यय तथा पूंजी कार्य में प्रगति</b>		
			क. अचल सम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	4,28,960	7,52,849
<b>3. बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज</b>			ख. चालू पूंजी कार्य पर व्यय	-	-
जीन निधि	18,58,911	12,50,057			
प्राधिकरण निधि	68,53,854	64,38,698			
<b>4. अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए एफएओ से सहायता</b>	-	3,71,940	<b>4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेहगी (अनुबंध झ)</b>	2,79,98,875	2,55,26,098
<b>5. पौधा सुरक्षा भवन के निर्माण के लिए पेहगी</b>	-	5,00,00,000	<b>5. संगठनों/संस्थानों को योगदान</b>	-	31,39,654
<b>6. पूंजी खाता (प्राधिकरण निधि)</b>	2,10,000	-	<b>6. बाहरी पक्षों को पेहगी (अनुबंध ट)</b>	9,78,591	20,86,244
<b>7. प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त पेहगियां (अनुबंध ढ)</b>	4,44,293	4,90,995	<b>7. फैंकिंग मशीन को पुनः भरना</b>	2,50,000	1,00,000
<b>8. डीयूएस दिशा-निर्देशों के विकास के लिए पेहगियों की वापसी (नए डीयूएस केन्द्र)</b>	3,04,783	1,59,869	<b>8. जीन बैंक के लिए योगदान</b>	1,85,00,000	85,00,000
<b>9. स्टाफ से पेहगियों की प्राप्ति: अनुबंध ण</b>	2,19,197	6,92,199	<b>9. स्टाफ को पेहगी (अनुबंध ठ)</b>	10,17,900	22,93,693
<b>10. शुल्क/अंशदान/अन्य आय</b>			<b>10. वित्त प्रभार</b>	11,729	8985
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	1,53,04,600	42,74,000			
पीवीजे अभिदान शुल्क	1,41,600	1,06,100	<b>11. मियादी जमा</b>	13,16,50,000	14,82,41,286
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	-	4,500			


प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>1. आदिशेष</b>			<b>1. व्यय</b>		
वार्षिक शुल्क-जीन निधि	87,92,574	50,40,755	<b>12. रद्दी डिमांड ड्राफ्ट की समाप्ति</b>		
वार्षिक शुल्क-प्राधिकरण	8,000	-	जीन निधि	8,63,279	60,000
पुराने समाचार-पत्रों, रद्दी की बिक्री	2,908	7,044	प्राधिकरण निधि	70,410	-
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,24,30,000	1,89,57,000			
अन्य आय	1,55,961	25,296	<b>13. अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध इ(क))</b>	42,10,718	45,58,621
टीडीएस की कटौती की उत्क्रमण	52,242	-			
वार्षिक नवीकरण शुल्क	18,21,000	-	<b>14. अन्य भत्ते (अनुबंध इ(ख))</b>	218,520	-
प्रकाशनों की बिक्री	-	1890			
निरीक्षण शुल्क / फीस	5,000	-	<b>15. आदिशेष</b>		
बैंक द्वारा दिया गया अतिरिक्त क्रेडिट	2,24,608	-	<b>क. उच्चत (मौजूद नकद राशि)</b>		
प्राधिकरण निधि से योगदान	1,85,00,000	-	प्राधिकरण	25,000	25,000
विभिन्न फीस के लिए अग्रिम	-	19,70,000	रांची शाखा	52	19,593
पूर्व अवधि लेखा	20,996	0	गुवाहाटी शाखा	767	-
			<b>ख. बैंक अधिशेष (एमओडी सहित)</b>		
<b>11. मिरादी जमा का नकदीकरण</b>	10,64,21,975	9,61,13,152	भारतीय स्टेट बैंक	5,22,71,445	6,49,78,652
			सिंडिकेट बैंक	32976805	7453097
<b>12. सीपीएफ सावधि जमा राशि</b>	1,44,000	-	पारगमन में बैंक	-	19,630
			एसबीआई (जीन निधि)	5,21,61,780	2,41,57,718
<b>13. पुराने चेकों की राशि की वापसी</b>	38,557	3,02,262	गुवाहाटी बैंक	32,433	19,910
			रांची बैंक	26,086	3,024
<b>योग</b>	<b>42,91,75,683</b>	<b>39,67,66,382</b>	<b>योग</b>	<b>42,91,75,683</b>	<b>39,67,66,382</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूंजी निधि

राशि रूपये में

वार्षिक लेखा 2015-16

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
<b>क) प्राधिकरण निधि</b>				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	15,26,12,538		12,67,73,530	
जोड़ें : प्राधिकरण निधि के लिए योगदान				
घटाएं : मूल्य ह्रास के लिए घटाव	4,28,960		7,52,849	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखे से हस्तांतरित निवल	(12,13,294)		(19,64,351)	
आय (व्यय) की शेष राशि	6,43,58,896	<b>21,61,87,100</b>	2,70,50,510	<b>15,26,12,538</b>
<b>ख) जीन निधि</b>				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	39,393,189.00		2,37,12,272	
जोड़ें : कॉर्पस/ पूंजी निधि के लिए योगदान	-			
जोड़ें (घटाएं) : निवल आय की शेष राशि/	<u>2,97,80,506.00</u>	<b>6,91,73,695</b>	1,56,80,917	<b>3,93,93,189</b>
(व्यय) आय और व्यय लेखे से हस्तांतरित				
<b>वर्ष के अंत में शेष राशि</b>		<b>28,53,60,795</b>		<b>19,20,05,727</b>

## अनुसूची 2 - आरक्षित तथा अतिरिक्त राशियां


राशि रूपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
<b>1. पूंजीगत आरक्षित राशि</b>				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
<b>2. पुनर्मूल्यांकनगत आरक्षित राशि</b>				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
<b>3. विशेष आरक्षित राशि</b>				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
<b>4. सामान्य आरक्षित राशि</b>				
पिछले लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
<b>कुल</b>				

### अनुसूची 3. निर्धारित/स्थायी निधियां

राशि (रूपये में)


	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>क. निधियों का आदि शेष</b>	-	-
<b>ख. प्राप्त की गई निधियां</b>	-	-
1. दान/अनुदान	-	-
2. निधियों पर किए गए निवेश से आय	-	-
3. अन्य अतिरिक्त राशि (प्रकृति बताएं)	-	-
<b>योग (क+ख)</b>		
<b>ग. उपयोग/निधियों के उद्देश्य पर व्यय</b>		
1. पूंजी व्यय		
अचल सम्पत्तियां	-	
अन्य		
2. राजस्व व्यय	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते	-	
किराया		
अन्य प्रशासनिक व्यय		
<b>योग (ग)</b>	-	-
<b>समाप्त वर्ष पर निवल शेष राशि (क+ख-ग)</b>	-	-



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुसूची 4. प्राप्त ऋण और उधारियां

राशि (रुपये में)

वार्षिक लेखा 2015-16

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. आवधिक ऋण	-		-	
ख. प्राप्ति तथा बकाया ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक				
क. आवधिक ऋण	-		-	
ख. अन्य ऋण (विशिष्ट)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बॉण्ड		-		-
7. अन्य		-		-
<u>योग</u>		-		-

## अनुसूची 5 : अप्राप्य ऋण और उधारियां


राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकारं	-	-
2. राज्य सरकार (विशिष्ट)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क. आवधिक ऋण	-	-
ख. अन्य ऋण	-	-
5. संस्थाएं तथा एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉण्ड	-	-
7. स्थायी जमा	-	-
8. अन्य	-	-
<b>योग</b>	-	-

## अनुसूची 6. आस्थगित ऋण देयताएं

राशि, रुपये में


	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
-		
क. पूंजी उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियां की जमानत द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां	-	-
ख. अन्य	-	-
<b>योग</b>	-	-



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012


## अनुसूची 7 - चालू देयताएं और प्रावधान

राशि (रुपये में)

वार्षिक लेखा 2015-16

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
<b>क. चालू देयताएं</b>				
1. स्वीकृतियां				
2. छोटे ऋण				
क. माल के लिए	-		20,000	
ख. अन्य के लिए	-		-	
ग.स्टाफ के लिए	-		-	
बकाया वेतन	10,02,681		13,46,042	
बकाया मजदूरी	-		5,789	
बकाया व्यय	1,86,372		5,86,133	
बकाया सामान्य सेवा प्रभार	-		-	
यात्रा भत्ता के लिए देयता	1,000		15,228	
चिकित्सा व्यय के लिए देयता	-		-	
विद्यमान डीयूएस केन्द्र के लिए	9,25,930		615429	
नए डीयूएस केन्द्रों के लिए देयता	7,19,206		972062	
फील्ड जीन बैंक के लिए देयता	1,47,661		41247	
प्रशिक्षण के लिए देयता	-	29,82,850		36,01,930
3. प्राप्त पेशगियां	-		-	
वार्षिक शुल्क के लिए पेशगी	1,40,000		1,40,000	
वापसी योग्य वापसी शुल्क	96,000		96000	
गलत तरीके से बैंक द्वारा जमा	2,24,613		-	
पंजीकरण शुल्क के लिए पेशगी/पंजीकरण शुल्क	-		20,000	
विभिन्न शुल्कों के लिए पेशगी	19,10,000		19,10,000	
पीवीजे के लिए शुल्कों के लिए पेशगी	53,600		53,600	
निविदा के लिए जमानत राशि	1,30,000	25,54,213	1,30,000	23,49,600
4. एकत्रित ब्याज जो बकाया नहीं था				
क. सुरक्षित ऋण/उधारियां				
ख. असुरक्षित ऋण/उधारियां				-
5. वैधानिक देयताएं				


	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क. ओवरड्यू	-		-	
ख. अन्य				
टीडीएस	1,93,393		98,779	
नई पेंशन योजना	1,45,280		1,55,087	
लाइसेंस शुल्क	8,733		9,233	
जीपीएफ	52,000		87,000	
जीपीएफ ऋण 2	-		-	
सीपीएफ	16,000		16,000	
व्यवसाय कर	208		208	
अन्य	-		11,125	
एचबीए	-		6,355	
सीजीएचएस	-		325	
सीजीईजीआईएस	2,284	4,17,898	1,925	3,86,037
6. अन्य चालू देयताएं				
देय राशि	16,806,196		283516	
पौधा सुरक्षा भवन निर्माण के लिए पेशगी	50,000,000		5,00,00,000	
सीपीएफ निधि लेखा	3,36,000		1,44,000	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए देयता	3,16,12,000	98754196	3,16,12,000	8,20,39,516
<b>योग (क)</b>		<b>1,04,709,157</b>		<b>8,83,77,083</b>
<b>प्रावधान</b>				
1. कर के लिए	-		-	
2. ग्रेच्युटी के लिए	21,00,158		16,94,211	
3. सेवानिवृत्ति पेंशन	-		-	
4. संचयी छुट्टी नकदीकरण	23,35,942		18,91,816	
5. व्यापार वारंटियां/ दावे	-		-	
6. विभिन्न केन्द्रों को दिए गए अनुदानों के विरुद्ध व्यय	2,33,00,000		85,00,000	
7. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए व्यय	2,04,00,000		11444775	2,35,30,802
<b>योग (ख)</b>	<b>4,81,36,100</b>	<b>4,81,36,100.00</b>		<b>2,35,30,802</b>
<b>महा योग (क + ख)</b>		<b>15,28,45,257.00</b>		<b>11,19,07,885</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012





## अनुसूची 9 निर्धारित/स्थायी निधि से निवेश


राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>	-	-

## अनुसूची 10. निवेश - अन्य

राशि, रुपये में


	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयरों में	-	-
4. डिबेंचरों तथा बाण्डों में	-	-
5. उप स्थापनाओं व संयुक्त क्रियाकलापों में	-	-
6. अन्य में (स्पष्ट करें)	-	-
<b>कुल</b>	-	-



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुसूची 11 - चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा पेशगियां

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
<b>क. चालू परिसम्पत्तियां</b>				
1. वस्तु-सूची				
क. भंडार एवं पूर्जे	-		-	
ख. फुटकर औजार	-		-	
ग. मौजूद स्टॉक				
तैयार माल	-		-	
चालू कार्य	-		-	
कच्चा माल	-	-	-	-
2. छोटे ऋण				
क. 6 माह की अवधि के बकाया ऋण	-		-	
ख अन्य	-	-	-	-
3. मौजूद नकद शेष राशि (चैक, ड्रॉफ्ट, उच्चंद, टिकटें)				
उच्चंद	22,815		44,593	
मौजूदा नकद राशि	-			
मौजूद टिकटें	1,25,976	1,48,791	-	44,593
4. बैंक में शेष राशि				
क. अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
प्राधिकरण निधि	8,44,66,906		6,49,78,652	
जीन निधि	5,21,61,779		2,41,57,718	
जमा खातों में				
जीन निधि	13,41,63,071		1,60,20,164	
प्राधिकरण निधि	-		89,615,779	
बचत खातों में				
सिंडिकेट बैंक (प्राधिकरण)	56,83,663		74,53,097	
एसबीआई, गुवहाटी	32,433		19,910	
एसबीआई, रांची	26,086		3,024	
बैंक - ट्रांजिट में	-	27,65,33,938	19,630	20,22,67,974
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में				
चालू खातों में				
जमा खातों में	-		-	
बचत खातों में	-	-	-	-
<b>योग (क)</b>	<b>27,66,82,729</b>		<b>20,23,12,567</b>	


	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
<b>ख. ऋण पेशगियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां</b>				
1. ऋण				
क. स्टाफ को	74,124		3,18,133	
ख. क्रियाकलापों/उद्देश्यों से संबंधित अन्य प्रविष्टियां	-		-	
ग. अन्य, प्रधान डाकघर को पेशगी	70	74,194	89,438	4,07,571
2. प्राप्त मूल्य के लिए नकद या अन्य किसी रूप में वसूली योग्य पेशगियां ओर अन्य राशियां				
क. पूंजी लेखे में				
प्राधिकरण भवन के लिए निर्माण के लिए पेशगी राशि	52,16,630		52,16,630	-
ख. पूर्व अदायगियां				
विविध पेशगी	-		-	
एचसीएल इन्फो प्रणाली लिमिटेड को पेशगी	-		-	
सहारा नेट कारपोरेशन को पेशगी	-		-	
पूर्व पेशगी व्यय	38,633		55,243	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध पेशगी	77,36,500		77,36,500	
प्रशिक्षण के लिए पेशगी	3,51,29,568		1,96,91,746	
बाहरी पक्षों के लिए पेशगी	6,32,560		6,03,908	
नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पेशगी	2,78,37,242		1,98,77,266	
पुराने डीयूएस परीक्षण केन्द्रों के लिए पेशगी	3,83,50,983		1,86,27,177	
फील्ड जीन बैंक के लिए पेशगी	12,11,763		5,49,528	
संदर्भ प्रयोगशालाओं के लिए पेशगी	22,61,611		22,61,611	
	-		-	
		11,84,15,490		7,46,19,609
ग. अन्य				
वापसी योग्य आयकर	3,78,172		85,559	
प्राप्य योग्य सीपीएफ	45,000		45,000	



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंदिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
बैंक से प्राप्य योग्य	1,92,000		1,44,000	
बैंक द्वारा गलत नामे	7,874		-	
राशि वसूली योग्य	-		-	
प्राप्य आय	1,68,06,196	1,74,29,242	2,83,516	5,58,075
3. संचित आय				
क. निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के निवेश से	-		-	
ख. अन्य निवेश से	-		-	
ग ऋण तथा पेशगी से	-		-	
घ. अन्य	-		-	
1) एसबीआई में एमओडी खाते पर अर्जित ब्याज	19,28,000		6,67,332	
2) वसूली योग्य वार्षिक शुल्क	273		8,88,000	
3) एसबीआई गुवाहाटी पर अर्जित ब्याज	-	19,28,273	-	15,55,332
<b>योग (ख)</b>		<b>13,78,47,199</b>		<b>7,71,40,587</b>
<b>महा योग (क+ख)</b>		<b>41,45,29,928.00</b>		<b>27,94,53,154</b>

## 31 मार्च 2016 के लिए आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय


राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. बिक्री से आय		
क. तैयार माल की बिक्री	-	-
ख. कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग. रद्दी की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क. मजदूरी तथा प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख. व्यवसायी/परामर्शदायी सेवाएं	-	-
ग. एजेंसी कमीशन और दलाली	-	-
घ. रखरखाव सेवाएं	-	-
ड. अन्य	-	-
<b>कुल</b>	-	-

## अनुसूची 13- ग्रांट/अनुदान (प्राधिकरण निधि)

राशि, रुपये में


	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
केन्द्र सरकार से	15,81,15,040	15,92,47,151
राज्य सरकार से	-	-
सरकारी एजेंसियों से	-	-
संस्थाओं/कल्याण निकायों से	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों से	-	-
अन्य	-	-
<b>योग</b>	<b>15,81,15,040</b>	<b>15,92,47,151</b>
<b>ग्रांट/अनुदान (जीन निधि)</b>		
प्राधिकरण निधि से योगदान	1,85,00,000	85,00,000
<b>योग</b>	<b>1,85,00,000</b>	<b>85,00,000</b>



**जे.पी. सिंह**  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



**आर. सी. अग्रवाल**  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



**आर.आर. हंचिनाल**  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुसूची 14 : शुल्क/अंशदान - प्राधिकरण निधि

राशि, रुपये में

वार्षिक लेखा 2015-16

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,24,10,000.00	1,90,72,500.00
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	1,53,04,200.00	4,274,000.00
अंशदान/पीवीजे शुल्क	1,41,600.00	83,050.00
संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क/डीयूएस शुल्क	-	-
विरोध के नोटिस के लिए शुल्क	-	4,500.00
वार्षिक नवीकरण शुल्क	19,81,000.00	-
विस्तार स्वीकृति के लिए शुल्क	-	-
वार्षिक शुल्क	8,000.00	-
निरीक्षण शुल्क	5,000.00	-
<b>योग</b>	<b>2,98,49,800.00</b>	<b>2,34,34,050.00</b>
<b>शुल्क/अंशदान - जीन निधि</b>		
बीजों की बिक्री से हिस्सा	60,81,630	36,64,755
वार्षिक शुल्क	15,83,666	16,52,000
<b>योग</b>	<b>76,65,296</b>	<b>53,16,755</b>

## अनुसूची 15 : निवेशों से आय

राशि, रुपये में

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बाण्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
<b>योग</b>	-	-	-	-
<b>निर्धारित/अस्थायी निधियों को हस्तांतरित</b>	-	-	-	-

## अनुसूची 16 : रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय


राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
रायल्टी से आय	-	-
प्रकाशनों से आय	-	-
अन्य	-	-
<b>योग</b>	-	-

## अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)

राशि, रुपये में


	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सावधि जमा पर अनुसूचित बैंकों से		
सावधि जमा (एसबीआई)	-	-
एमओडी खाता (एसबीआई)	43,58,960	1,26,936
एमओडी खाता (सिंडिकेट)	9,67,426	21,55,258
सावधि जमा (अलाहाबाद बैंक)	4,08,303	-
सावधि जमा (बैंक ऑफ बड़ोदा)	-	-
सावधि जमा (बैंक ऑफ इंडिया)	60,22,589	23,33,116
सावधि जमा (देना)	-	30,15,779
सावधि जमा (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया)	23,38,634	13,16,229
गैर-अनुसूचित बैंक से संस्थाओं से	-	-
अन्य	-	-
2. बचत खातों पर अनुसूचित बैंकों से (सिंडिकेट बैंक)	1,91,056	1,41,361
अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	1,044	916
डाकघर बचत खाते से	-	-
अन्य	-	-
3. ऋण पर कर्मचारियों/स्टाफ से	-	-
अन्य	-	-
4. लेनदारों तथा अन्य प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त ब्याज	-	-
5. एमओडी खाते पर ब्याज	-	-
<b>योग</b>	<b>1,42,88,012</b>	<b>90,89,595</b>
<b>अर्जित ब्याज (जीन निधि)</b>		
1. सावधि जमा पर अनुसूचित बैंकों से (एसबीआई)	7,86,032	1,60,608
बैंक ऑफ इंडिया से	-	10,20,164
एमओडी खाते पर अर्जित ब्याज	15,25,808	722,178
<b>योग</b>	<b>23,11,840</b>	<b>19,02,950</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंदिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



## अनुसूची 18. अन्य आय

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अचल सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर निवल लाभ	-	23,703
अनुदान से अधिगृहीत सम्पत्तियां या मुफ्त प्राप्त सम्पत्तियां	-	-
प्राप्त किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
स्टाफ कार के उपयोग के लिए वसूली	6,720	2,240
पुराने समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं व कबाड़ की बिक्री	2,908	7,044
वाहन बीमे के विरुद्ध दावा प्राप्ति	-	-
प्रकाशनों की बिक्री	-	1,890
दायिका की वापसी	7,195	1,53,728
अध्यक्ष की पेंशन से वसूली	4,65,500	3,99,000
विविध आय (अन्य)	1,15,657	906
कम्प्यूटर उपयोग के लिए वसूली	3,600	3,600
<b>योग</b>	<b>6,01,580</b>	<b>5,92,111</b>
<b>अन्य आय - जीव निधि</b>		
1. अन्य आय	-	24,750
<b>योग</b>	<b>-</b>	<b>24,750</b>

## अनुसूची 19: तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और चालू कार्य


राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अंत स्टॉक	-	-
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
आदि स्टॉक	-	-
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
<b>निवल वृद्धि/कमी</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## अनुसूची 20: स्थापना व्यय

राशि, रुपये में


	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
मूल वेतन	53,33,696	67,12,809
बोनस	17,270	20,724
महंगाई भत्ता/ग्रेड वेतन	9,52,665	13,01,069
कम्पोजिट स्थानांतरण अनुदान	-	-
महंगाई भत्ता	74,08,644	84,00,424
परिवहन भत्ता	7,97,084	8,95,249
नई पेंशन निधि में योगदान	6,09,043	6,53,797
सीपीएफ में नियोक्ता का योगदान	96,000	80,000
आवास किराया भत्ता	12,27,692	16,03,544
छुट्टी नकदीकरण	4,80,911	2,10,290
छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान	2,29,221	2,42,179
छुट्टी यात्रा रियायत	1,20,088	2,64,577
बाल/बालिका शिक्षा भत्ता	1,86,330	1,36,470
ग्रेच्युटी	4,05,947	4,60,947
मजदूरी	74,33,721	31,89,636
ठेके पर स्टाफ का वेतन	52,59,903	1,14,35,887
स्टाफ कल्याण व्यय	4,314	1,48,636
वेतन व भत्ते – अन्य	89,874	1,10,256
जीन निधि में योगदान	1,85,00,000	85,00,000
<b>योग</b>	<b>4,91,52,403</b>	<b>4,43,66,494</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुसूची 21. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)

राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
-		
सामान्य सेवा प्रभार	9,80,355.00	8,94,217.00
बिजली तथा जल व्यय	2,69,474.00	10,03,924.00
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय	13,26,388.00	4,01,334.00
प्रदर्शनियां, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों पर व्यय	97,623.00	5,22,065.00
प्रशिक्षण, जागरूकता व कार्यक्रमों पर व्यय	2,81,19,089.00	2,35,62,076.00
प्राधिकरण बैठकों पर व्यय किराया प्रभार – समिति कक्ष	1,53,752.00	2,91,026.00
किराया प्रभार – उपकरण	-	6,000.00
किराया प्रभार – वाहन	18,04,146.00	1,228,303.00
सत्कार व्यय	1,13,381.00	1,42,173.00
बीमा	5,349.00	6,345.00
फुटकर व्यय	44,350.00	22,578.00
समाचार पत्र	75,167.00	51,679.00
डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन	12,13,582.00	11,07,380.00
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	33,60,201.00	57,08,813.00
व्यवसायिक व्यय यात्रा	11,18,033.00	11,86,795.00
समाचार पत्र में प्रसार और विज्ञापन	9,23,352.00	6,38,665.00
किराया, दरें और कर	3,79,508.00	3,79,509.00
रखरखाव व मरम्मत	6,57,023.00	8,79,508.00
सिटिंग प्रभार	1,98,800.00	3,73,400.00
यात्रा व्यय – घरेलू – स्टाफ	23,39,793.00	24,10,588.00
व्यय – घरेलू – विशेषज्ञ	22,36,313.00	20,40,607.00
यात्रा व्यय – विदेश – स्टाफ	-	81,885.00
<b>योग</b>	<b>4,54,15,679.00</b>	<b>4,29,38,870.00</b>
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (जीन निधि)</b>		
आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग पर व्यय		-
कार्यक्रम प्रबंधन पर व्यय		-
<b>योग</b>		-

## अनुसूची 22 अनुदानों/आर्थिक सहायता आदि पर व्यय


राशि, रुपये में

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	4,94,60,328	7,38,37,474
संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईटीपीजीआरएफए) को दिए गए योगदान	-	31,39,654
<b>योग</b>	<b>4,94,60,328</b>	<b>7,69,77,128</b>

## अनुसूची 23 : ब्याज

राशि, रुपये में


	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
निश्चित ब्याज पर	-	-
अन्य विशिष्ट ऋण (बैंक प्रभार सहित)	10,985	2,319
अन्य	-	5,904
<b>योग</b>	<b>10,985</b>	<b>8,223</b>
<b>जीन निधि</b>		
अन्य विशिष्ट ऋण – बैंक प्रभारों सहित – जीन निधि	630	762.00
<b>योग</b>	<b>630</b>	<b>762.00</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध -क पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि, रूपये में

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	<b>प्राधिकरण निधि</b>			
1	प्रशासनिक व्यय	-	-	-
2	प्रशिक्षण व्यय	80,000	67,76,796	-66,96,796
3	विद्यमान डीयूएस	1,30,265	-	1,30,265
4	नए डीयूएस	5,31,947	-	5,31,947
5	संदर्भ प्रयोगशालाएं	-	-	-
6	फील्ड जीन बैंक	-	-	-
7	बाहरी पक्ष	2,50,000	-	2,50,000
8	स्टाफ	2,98,249	57,524	2,40,725
	<b>योग</b>	<b>12,90,461</b>	<b>68,34,320</b>	<b>-55,43,859</b>
	<b>पूर्वावधि समायोजन लेखा</b>			
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	शेष राशि
	<b>जीन निधि</b>			
1	वार्षिक शुल्क	-	13,04,000	-13,04,000
	<b>योग</b>	<b>-</b>	<b>13,04,000</b>	<b>-13,04,000</b>

## अनुबंध ख

## विद्यमान डीयूएस केब्रों से प्राप्त राशि के ब्योरे दशानि वाला विवरण

क्र.सं.	डीयूएस केब्र का नाम	फसल	01.04.2015 को आदिष्ट	2014-15 के और पूर्ण वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संगठित आदिष्ट	अब केब्रों से को हस्तांतरित	2015-16 के दौरान जारी की गई राशि	2015-16 के दौरान व्यय	राशि, रूपये में 31.03.2016 को अंत षष्ठ
1	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	चावल	9,59,992.00	726,988.00	2,33,004.00	-	3,90,996.00	5,08,614.00	1,15,386.00
2	आचार्य एन जी रंगा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मक्का, उड़द	3,41,991.00	-	3,41,991.00	-	4,13,000.00	-	754,991.00
3	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	कपास, चना	1,31,348.00	-	1,31,348.00	-	7,22,276.00	-	8,53,624.00
4	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड (सीपीसीआरआई), केरल	नारियल	9,40,610.00	-	9,40,610.00	-	3,84,140.00	-	13,24,750.00
5	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) शिमला	आलू	10,46,236.00	3,90,628.00	6,55,608.00	-	-	-	6,55,608.00
6	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	चावल	6,00,813.00	-	6,00,813.00	8,50,000.00	3,24,187.00	17,16,602.00	58,398.00
7	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	कपास	-1,93,208.00	-	-1,93,208.00	-	12,34,875.00	-	10,41,667.00
8	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	आम	29,583.00	-	29,583.00	-	3,29,443.00	-	3,59,026.00
9	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	आड़ू और बेर	1,99,327.00	-	1,99,327.00	-	-	-	1,99,327.00
10	केन्द्रीय जूट एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं सीएसआरएस, बुदबुद	जूट	3,52,004.00	-	3,52,004.00	-	6,10,495.00	2,41,749.00	7,20,750.00
11	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	सरसों, गेहूँ	17,280.00	-	17,280.00	-	4,50,220.00	4,33,312.00	34,188.00
12	औषधीय एवं समाधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद	एम एण्ड ए पीधे	1,60,568.00	-	1,60,568.00	-	5,78,372.00	6,88,293.00	50,647.00
13	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	गुलाब एवं गुलदाउदी	-	-	-	-	14,26,066.00	4,63,577.00	962,489.00
14	राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, त्रिची	केला	2,09,851.00	78,556.00	1,31,295.00	-	-	-	1,31,295.00
15	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली सोयाबीन निदेशालय, इंदौर	सोयाबीन	38,355.00	-	38,355.00	-	10,45,245.00	9,92,713.00	90,887.00
16	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	सूरजमुखी, अरंड	30,030.00	-	30,030.00	-	9,02,970.00	7,69,957.00	1,63,043.00

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंद्रियानी

आर.आर. इंद्रियानी  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

राष्ट्र, रूपये में

क्र.सं.	डीयूएस केबल का नाम	फसल	01.04.2015 को आदिशेष	2014-15 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संचोषित आदिशेष	अन्य केबलों से को हस्तांतरित	2015-16 के दौरान जारी की गई राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
17	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	चावल	9,21,551.00	-	9,21,551.00	-	5,56,500.00	-	14,78,051.00
18	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	ज्वार	3,07,674.00	-	3,07,674.00	-	8,08,326.00	8,41,103.00	2,74,897.00
19	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली	गुलाब एवं गुलादाददी गेहूँ	1,24,295.00	-	1,24,295.00	-	-	-	1,24,295.00
20	भारतीय कृषि गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल (डीडब्ल्यूआर, करनाल)	गेहूँ	-11,978.00	-	-11,978.00	-	8,31,000.00	8,05,785.00	13,237.00
21	भारतीय कृषि गेहूँ और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल (डीडब्ल्यूआर, करनाल)	जौ	45,651.00	-	45,651.00	-	6,56,978.00	5,86,978.00	115,651.00
22	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	2,13,713.00	1,86,323.00	27,390.00	-	-	-	27,390.00
23	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान सभाग, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	1,66,986.00	-	1,66,986.00	1,50,000.00	7,09,199.00	-	1,026,185.00
24	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान सभाग, नई दिल्ली	प्याज और लहसुन	1,33,023.00	-	1,33,023.00	0	2,13,217.00	2,63,922.00	82,318.00
25	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीआईएएच, बीकानेर	बेर	1,71,663.00	-	1,71,663.00	-	-	-	1,71,663.00
26	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	सब्जियाँ	-	-	-	-	5,91,750.00	-	5,91,750.00
27	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	चना, अरहर	3,80,863.00	-	3,80,863.00	-	8,88,274.00	4,07,448.00	8,61,689.00
28	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	मूँग, उड़द, मसूर, मुल्तान	97,253.00	-	97,253.00	-	4,48,747.00	3,52,698.00	1,93,302.00
29	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	मसाले	40,090.00	-	40,090.00	-	5,09,910.00	4,54,920.00	95,080.00
30	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी	15,77,721.00	-	15,77,721.00	-	36,59,750.00	-	52,37,471.00
31	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	कद्दू	4,98,218.00	-	4,98,218.00	-	-	-	4,98,218.00

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21892

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिवाल

आर.आर. हंचिवाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## राष्ट्रिय, राष्ट्रीय एवं

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2015 को आदिशेष	2014-15 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संचालित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित	2015-16 के दौरान जारी की गई राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
32	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	गन्ना	-20,826.00	-	-20,826.00	-	5,00,000.00	4,42,594.00	36,580.00
33	जुनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर	अरंड	1,18,975.00	-	1,18,975.00	-	4,03,218.00	-	5,22,193.00
34	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	मटर, अलसी	2,50,000.00	-	2,50,000.00	-	21,000.00	-	2,71,000.00
35	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिपुर	ऑर्किड	9,31,111.00	-	9,31,111.00	-	-	-	9,31,111.00
36	परियोजना समन्वयक (बाजरा), मैनाडर (राज, बीकानेर)	बाजरा	-1,74,252.00	-	-1,74,252.00	-	10,56,877.00	-	8,82,625.00
37	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	ज्वार, बाजरा	31,800.00	-	31,800.00	-	12,43,200.00	7,28,612.00	5,46,388.00
38	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी (पुणे केन्द्र)	चीन एस्टर	3,42,307.00	1,32,765.00	2,09,542.00	-	-	-	2,09,542.00
39	एनडीएए एवं टी, फैजाबाद	जौ	79,540.00	-	79,540.00	-	-	-	79,540.00
40	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	अंगूर	2,31,545.00	-	2,31,545.00	-	1,93,455.00	-	4,25,000.00
41	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिकिम	ऑर्किड	1,60,663.00	-	1,60,663.00	-	4,39,337.00	4,14,791.00	1,85,209.00
42	मंगफली अनुसंधान निदेशालय, जुनागढ़	मंगफली	56,388.00	-	56,388.00	-	3,89,222.00	3,22,431.00	1,23,179.00
43	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर	प्याज और लहसुन	-	-	-	-	5,64,000.00	3,41,690.00	222,310.00
44	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	तोरिया और सरसों	4,77,387.00	-	4,77,387.00	-	86,284.00	-	5,63,671.00
45	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	बीजीय मसाले	2,39,508.00	-	2,39,508.00	-	2,60,627.00	4,42,823.00	57,312.00
46	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	गेहूँ, कपास	60,094.00	-	60,094.00	-	5,16,531.00	-	5,76,625.00
47	परियोजना समन्वयक (कपास), सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयंबटूर	कपास	7,67,185.00	-	7,67,185.00	-	22,12,625.00	-	2,979,810.00
48	सीएसएए और टी परियोजना समन्वयक (अलसी), कानपुर	अलसी	379,842.00	244,368.00	135,474.00	-	2,00,000.00	3,24,121.00	11,353.00

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(द्वितीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंद्रियानी

आर.आर. इंद्रियानी  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



राष्ट्र, राष्ट्र में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2015 को आदिशेष	2014-15 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संचयित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से की हुईतामति	2015-16 के दौरान जारी की गई राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
49	परियोजना समन्वयक, जेएनएकेवीवी, तिल एवं नाइजर, जबलपुर	तिल और नाइजर	282,131.00	-4.00	282,135.00	-	1,42,865.00	1,85,264.00	239,736.00
50	पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	चना	610,886.00	-	610,886.00	-	4,75,000.00	-	1,085,886.00
51	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., इंदौर	गेहूँ	391,812.00	243,333.00	148,479.00	-	4,73,134.00	-	621,613.00
52	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., करनाल	चावल	202,701.00	-	202,701.00	-	3,18,005.00	-	520,706.00
53	क्षेत्रीय केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., कटराई	बंदगोभी और फूलगोभी	283,025.00	-	283,025.00	-150,000.00	2,98,133.00	3,79,694.00	51,464.00
54	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	ऑर्किड	310,034.00	-	310,034.00	-	-	-	310,034.00
55	गन्ना प्रजनन संस्थान, अगाली	गन्ना	196,138.00	-	196,138.00	-	3,03,737.00	4,00,461.00	99,414.00
56	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	गन्ना	165,706.00	-	165,706.00	-	-	-	165,706.00
57	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर	गन्ना	475,694.00	-	475,694.00	-	2,09,264.00	3,06,932.00	378,026.00
58	कृषि विज्ञान केन्द्र, धारवाड़	कपास, गेहूँ	423,566.00	-	423,566.00	-	12,99,176.00	12,48,945.00	473,797.00
59	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन, मक्का	172,160.00	-	172,160.00	-	2,52,840.00	-	425,000.00
60	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	चावल, सूरजमुखी	340,997.00	-	340,997.00	-	6,78,395.00	-	1,019,392.00
61	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	अनार	298,099.00	-	298,099.00	-	-	-	298,099.00
62	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	बेर	128,217.00	-	128,217.00	-	2,14,283.00	2,45,961.00	96,539.00
63	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	आम	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
64	पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, आईएआरआई कैंपस, नई दिल्ली	र्लोडियोल्स	105,034.00	-	105,034.00	-	-	-	105,034.00
65	पुष्प विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	बोगेनविलीया	8,400.00	-	8,400.00	-	2,00,000.00	-	208,400.00
66	शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	लौकी	69,647.00	-	69,647.00	-	2,69,971.00	3,22,260.00	17,358.00

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिबाल

अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## राष्ट्र, रूपये में

क्र.सं.	डीयूएस केबल का नाम	फसल	01.04.2015 को आदिष्ट	2014-15 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संचालित आदिष्ट व्यय	अन्य केबलों से को हस्तांतरित	2015-16 के दौरान जारी की गई राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत ठेष
67	शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	चौलाई	182,222.00	-	182,222.00	-	5,67,778.00	-	750,000.00
68	पुष्प विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	गैंदा	20,623.00	-	20,623.00	-	4,79,377.00	4,96,191.00	3,809.00
69	वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर	सफेदा और सरु	323,152.00	431,127.00	-107,975.00	-	5,23,317.00	2,20,274.00	195,068.00
70	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	कैना	45,215.00	40,559.00	4,656.00	-	50,000.00	-	54,656.00
71	एनआरसीपी शोलापुर	अनार	154,366.00	-	154,366.00	-	2,70,634.00	4,04,980.00	20,020.00
72	तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर	चमेली	250,000.00	245,429.00	4,571.00	-	95,429.00	-	100,000.00
73	एनबीआरआई लखनऊ (लैडियोलस किस्में)	ग्लडियोलस	29,663.00	-	29,663.00	-	50,000.00	-	79,663.00
74	सीआईटीएच, श्रीनगर	आडू और बेर	44,563.00	-	44,563.00	-	1,91,101.00	-	146,538.00
75	एमपीकेवी राहुरी	कपास	6,43,741.00	-	6,43,741.00	-	12,25,260.00	8,68,702.00	10,00,299.00
76	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, पुणे	चीन एस्टर	1,00,000.00	-	1,00,000.00	-	-	-	100,000.00
77	कन्नड़ोलर, एमपीकेवी, राहुरी	गुलाब	4,50,000.00	66,593.00	3,83,407.00	-	-	-	383,407.00
78	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर, आईआईएचआर	आम	-	3,78,501.00	-3,78,501.00	5,50,000.00	1,40,500.00	-	3,11,999.00
79	कन्नड़ोलर, एसकेएनएयू, जोधनर	जौ	2,00,000.00	-	2,00,000.00	-	-	-	2,00,000.00
80	निदेशक, टीआरए, टोकलाई	चाय	1,00,000.00	-	1,00,000.00	-	4,50,000.00	-	5,50,000.00
81	निदेशक, उपासी, कोयंबटूर	चाय	1,00,000.00	-	1,00,000.00	-	1,00,000.00	-	2,00,000.00
82	परियोजना निदेशक, डीटीआर एंड डीसीटीबी, कुर्सीयांग	चाय	1,00,000.00	-	1,00,000.00	-	-	-	1,00,000.00
83	वेतन एवं लेखा अधिकारी, कृषि कॉलेज, कोल्हापुर	मक्का	-	-	-	-	3,00,000.00	-	3,00,000.00
84	कन्नड़ोलर, एमपीयूर एंड टी	मक्का	-	-	-	-	3,00,000.00	-	3,00,000.00
85	कन्नड़ोलर, प्रो. जयशंकर तेलगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मक्का	-	-	-	-	3,08,599.00	-	3,08,599.00
	योग		20,781,436.00	3,165,166.00	17,616,270.00	14,00,000.00	3,69,59,110.00	1,76,24,397.00	38,350,983.00

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

2102

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंद्रियाल

आर.आर. इंद्रियाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

**अनुबंध -ग**  
**विद्यमान डीयूएस केन्द्रों से प्राप्त राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण**

राशि, रुपये में

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फल	01.04.2015 को आदिशेष	2014-15 के और पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संशोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरित गई राशि	2015-16 के दौरान जारी की गई राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
1	केन्द्रीय औषधीय एवं संग्धीय पादप संस्थान, लखनऊ	औषधीय पौधे	3,689.00	-	3,689.00	-	5,33,534.00	5,52,644.00	15,421.00
2	राष्ट्रीय नीब अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	नीबू	148,252.00	-	148,252.00	-	-	-	1,48,252.00
3	निदेशक, मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	मक्का	9,05,604.00	6,60,667.00	2,44,937.00	-	14,05,063.00	18,30,764.00	1,80,764.00
4	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	-66,913.00	-	66,913.00	-	-	-	66,913.00
5	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	स्ट्राबेरी	42,000.00	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
6	निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	पानी और खरबूजा	3,26,497.00	-	3,26,497.00	-	2,31,500.00	-	94,997.00
7	शाकीय विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	मिर्च	1,80,199.00	-	1,80,199.00	50,000.00	-	-	1,30,199.00
8	एनबीआरआई लखनऊ (बोगनविलिया)	बोगनविलिया	1,53,889.00	1,32,260.00	2,86,149.00	-	50,000.00	-	2,36,149.00
9	टोकलई प्रायोगिक अनुसंधान केन्द्र, जोरहट	चाय	11,235.00	-	11,235.00	-	-	-	11,235.00
	<b>योग</b>		<b>19,692.00</b>	<b>7,92,927.00</b>	<b>8,12,619.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>22,20,097.00</b>	<b>23,83,408.00</b>	<b>9,25,930.00</b>

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वितीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिवाल


आर.आर. हंचिवाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध -घ

राशि, रुपये में

क्र.सं.	नए डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2015 को आदि शेष	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तान्तरण	2015-16 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
1	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (लघु अनाज)	लघु अनाज	2,58,701	-	2,58,701	-	250,000	-	-	5,08,701
2	कृषि एवं खाद्य उत्पादन, भुवनेश्वर	चावल	1,50,003	-	1,50,003	-	-	-	-	1,50,003
3	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	परवल	1,05,509	-	1,05,509	-	200,000	80,000	173,958	51,551
4	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	पान	152	-	152	-	274,848	-	-	2,75,000
5	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	जिमीकंद और अरबी	68,105	-	68,105	-	181,895	-	-	2,50,000
6	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	मूंग, उड़द, लोबिया, चना	-	4,80,877	4,80,877	5,00,000	4,26,877	-	-	4,46,000
7	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	नौनी	3,63,972	-	3,63,972	-5,00,000	3,00,000	-	-	1,63,972
8	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	आँवला	2,38,561	2,22,385	16,176	-	1,73,824	-	1,18,945	71,055
9	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	बेल	5,57,289	5,72,907	-15,618	-	1,40,618	-	-	1,25,000
10	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	चिरोंजी और इमली	18,270	-	18,270	-18,700	3,31,730	-	1,80,090	1,51,210
11	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	जामुन	22,252	-	22,252	18,700	177,748	-	-	2,18,700
12	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	खजूर	4,73,257	-	4,73,257	-	-	-	2,69,080	2,04,177
13	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान	आँवला	1,50,988	-	1,50,988	-	2,29,012	-	-	3,80,000
14	केन्द्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	जामुन	64,152	-	64,152	-	1,35,848	-	-	2,00,000
15	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर	हत्तूत	6,35,031	-	6,35,031	-	-	-	-	6,35,031
16	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	करकंदी और कसावा	15,058	-	15,058	-	-	-	-	15,058




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हिंगोरानि  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

राष्ट्र, रूपये में

क्र.सं.	नए डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2015 को आदि शेष	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तान्तरण	2015-16 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
17	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	जिमीकंद और अरबी	2,65,388	-	2,65,388	-	2,84,612	-	-	5,50,000
18	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	गकरकंदी और कसावा	13,15,992	-	13,15,992	-	-	-	-	13,15,992
19	सीआईएसएच, लखनऊ (बेल)	बेल	21,361	-	21,361	-	2,03,639	-	-	2,25,000
20	नियंत्रक, एसडीएयू, एसके नागपुर, गुजरात (मुंदरा)	खजूर	4,00,000	-	4,00,000	-	-	-	-	4,00,000
21	नियंत्रक, डॉ0 बी एस के के वी, इपोली	चावल	4,04,577	-	4,04,577	-	4,50,000	-	1,83,761	6,70,816
22	नियंत्रक, आईजीकेवी, रायपुर	चावल	2,72,630	-	2,72,630	2,52,370	-	-	-	5,25,000
23	नियंत्रक, आईजीकेवी, रायपुर	चावल	2,81,390	-	2,81,390	-2,52,370	6,35,980	-	-	6,65,000
24	नियंत्रक, यूएएस, बंगलुरु	चावल	46,668	-	46,668	-	5,93,620	-	-	6,40,288
25	नियंत्रक, यूएएस, धारवाड़	कुल्थी, मोठ, गुआर, लाख	5,61,515	-	5,61,515	-	5,99,000	-	7,77,543	3,82,972
26	नियंत्रक, आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	-	-	-	-	2,70,000	-	-	2,70,000
27	नियंत्रक, यू एच एस, भागलकोट	मोरिंगा ओलिफेरा लार्न	-	-	-	-	3,56,000	-	1,37,487	2,18,513
28	सीआरआरआई कटक (आनुवांशिक विविधता)	चावल	1,62,988	-	1,62,988	-8,50,000	8,50,000	45,243	-	1,17,745
29	निदेशक, एनईएच क्षेत्र, बड़पानी	चावल	10,00,000	8,39,747	1,60,253	2,50,000	5,53,747	-	-	9,64,000
30	निदेशक, सीपी सीआरआई	कोको	-	-	-	-	4,50,000	-	-	4,50,000
31	निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	नींबू और पमल	-	-	-	-	4,50,000	-	-	4,50,000
32	निदेशक, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	मूली और गाजर	3,98,747	-	3,98,747	-50,000	7,58,348	-	-	11,07,095
33	आनुवांशिक संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	रताम्बी	35,026	-	35,026	-	-	-	-	35,026
34	निदेशक, भा.कृ.अ.नु.प., गोआ		-	-	-	-	4,50,000	-	-	4,50,000
35	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु		12,73,306	10,58,697	2,14,609	5,50,000	5,617,718	-	7,53,233	4,529,094

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

2102

आर. सी. अग्रवाल

महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## राशि, रुपये में

क्र.सं.	नए डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2015 को आदि शेष	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
36	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु	तरबूज और खरबूजा	-	-	-	-	3,31,500	-	84,956	2,46,544
37	निदेशक, एन आर सी एस एस, अजमेर	अजवायन, विल, कलौजी, सेलरी, सौफ	-	-	-	-	4,50,000	-	-	4,50,000
38	निदेशक, काजरी, जोधपुर	कुल्थी, मोठ, गुआर, लाख	1,68,564	-	1,68,564	-	2,20,145	-	-	3,88,709
39	डॉ. बी. एस. कोकण कृषि विश्वविद्यालय, डपोली	जायफल	24,127	-	24,127	6,18,827	-	-	438,587	204,367
40	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	गुलनार	57,377	-	57,377	-	177,623	-	-	2,35,000
41	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	विलो (सालिक्स प्रजाति)	94,705	-	94,705	-	5,19,295	-	-	6,14,000
42	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	ऑकिंड	1,00,000	1,98,291	-98,291	-	4,00,000	-	2,72,728	28,981
43	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीबकथॉर्न	-	-	-	-	5,00,000	-	-	5,00,000
44	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	लिलम एसपी. आ. रियंटल, एशियाटिक, एलए एवं ओटी मिश्रण	-	-	-	-	4,50,000	-	-	4,50,000
45	जीन अभियान, नई दिल्ली		4,40,000	-	4,40,000	-	-3,00,000	-	-	1,40,000
46	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	लघु अनाज (जई और लोबिया)	4,00,041	-	4,00,041	-	-	-	3,19,565	80,476
47	हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	कुं	1,91,704	-	1,91,704	-	-	-	-	1,91,704
48	एन ई एच के लिए भाकू.अ.प. अनुसंधान परिसर, (बड़पानी)	अरबी	4,93,446	-	4,93,446	-2,50,000	2,50,000	-	-	4,93,446
49	आई एफ जी टी बी, कोयम्बतूर	एलैथस	-	-	-	-	4,50,000	-	-	4,50,000
50	आई एफ जी टी बी, कोयम्बतूर	सागवान	3,51,310	6,45,722	2,94,412	-	11,50,382	-	-	8,55,970

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

2102

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंद्रियाराज

आर.आर. इंद्रियाराज  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

राशि, रुपये में

क्र.सं.	नए डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01.04.2015 को आदि शेष	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तान्तरण	2015-16 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
51	आई आई एस आर, कोजीकोड	बीजीय मसाले	2,40,771	-	2,40,771	-	-	-	-	2,40,771
52	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पुष्पविज्ञान सभाग	रजनीगंधा	2,07,814	-	2,07,814	-	-	-	-	2,07,814
53	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	जई, गिनी घास	3,01,055	-	3,01,055	-	-	-	-	3,01,055
54	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	लघु अनाज	38,399	-	38,399	-	-	-	-	38,399
55	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो, नई दिल्ली	बीज चौलाई	1,85,554	-	1,85,554	-	2,40,000	-	-	4,25,554
56	एन बी पी जी आर, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला	चौलाई	19,041	-	19,041	-	-	-	-	19,041
57	एन आर सी पी, सोलापुर	काजू	6,00,000	2,52,780	3,47,220	-	-	-	-	3,47,220
58	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (कृषक जागरूकता)	कपास, गेहूँ	7,350	-	7,350	-	-	-	-	7,350
59	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	बांस	3,34,678	-	3,34,678	-	-	-	-	3,34,678
60	एस डी कृषि विश्वविद्यालय	दाल	8,18,479	-	8,18,479	-	-	-	-	8,18,479
61	एसएफआरआई इटानगर अरुणा ऑर्किड	ऑर्किड	1,00,000	-	1,00,000	-	-	-	-	1,00,000
62	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	नीम, करंज, रतनजोत	3,59,259	-	3,59,259	-	-	-	-	3,59,259
63	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	पीपता और शरीफा	19,869	2,39,110	-2,19,241	4,00,000	19,241	-	-	2,00,000
64	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	लघु अनाज	5,25,000	-	5,25,000	-	2,00,000	-	-	7,25,000
65	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीके वीके परिसर, बंगलुरु	लघु अनाज	1,07,652	-	1,07,652	-	8,35,348	-	-	3,71,574
66	<b>योग</b>		157,47,083	45,10,516	1,12,36,567	-4,31,173	2,12,38,598	1,25,243	40,81,507	278,37,242

जम प्रकाश सिंह  
जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02  
आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध- ड. नए डीयूएस केन्द्रों को भुगतान की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	नए डीयूएस केन्द्र का नाम	राशि, रुपये में							
		01.04.2015 को आदि शेष	2014-15 तथा पूर्व वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संगठित आदिशेष	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी कुल राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
1	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	2,76,284	3,16,947	40,663	-	2,77,716	-	5,08,560	2,71,507
2	के.एस्. त्रिभूर	1,91,205	-	1,91,205	-	-	-	-	1,91,205
3	एनडीयूए एवं टी फैजाबाद	1,00,000	-	1,00,000	-	-	-	1,79,540	79,540
4	क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	-22,474	-	22,474	-	-	-	-	22,474
5	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	2,45,520	-	2,45,520	4,00,000	-	-	-	1,54,480
	<b>TOTAL</b>	<b>4,08,125</b>	<b>3,16,947</b>	<b>91,178</b>	<b>4,00,000</b>	<b>2,77,716</b>	<b>1,79,540</b>	<b>5,08,560</b>	<b>7,19,206</b>

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(द्वितीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

2/10/22

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिनाल

आर.आर. इंदिनाल  
अध्यक्ष


पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



## अनुबंध- च संदर्भ प्रयोगशालाओं से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि रूपयों में


क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04. 2015 को आदिशेष	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संशोधित शेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
1	एनबीपीजीआर, जैव रसायन विज्ञान परीक्षण, नई दिल्ली	81,978	-	81,978	-	-	-	81,978
2	सीआरआरआई, कटक	49,714	-	49,714	-	-	-	49,714
3	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली	2,09,719	-	2,09,719	-	-	-	2,09,719
4	भा.कृ.अ.प. इकाई, सीआईसीआर, नागपुर	5,69,384	-	5,69,384	-	-	-	5,69,384
5	परियोजना निदेशक, डीओआर, हैदराबाद	1,46,945	-	1,46,945	-	-	-	1,46,945
6	निदेशक, आईआईएचआर, बंगलुरु	2,03,871	-	2,03,871	-	-	-	2,03,871
7	परियोजना निदेशक, डीएमआर, नई दिल्ली	10,00,000	-	1,000,000	-	-	-	10,00,000
	<b>योग</b>	<b>22,61,611</b>	-	<b>22,61,611</b>	-	-	-	<b>22,61,611</b>



**जे.पी. सिंह**  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



**आर. सी. अहवाल**  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




**आर.आर. हंदिनाल**  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध छ जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक से प्राप्य राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि रुपये में


क्र. सं.	केन्द्र का नाम	01.04. 2015 को आदिशेष	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संग्रोधित आदिशेष	अन्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंतशेष
1	बीएयू	1,35,942	5,000	1,30,942	-	69,058	-	2,00,000
2	डॉ. बाला साहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	10,448	-	10,448	-6,18,827	13,58,379	7,05,069	44,931
3	डॉ. वार्ड एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	59,440	-	59,440	-	639,356	-	698,796
4	एनबीपीजीआर	3,43,698	-	3,43,698	-	8,05,326	8,80,988	2,68,036
	<b>योग</b>	<b>5,49,528</b>	<b>5,000</b>	<b>5,44,528</b>	<b>-6,18,827</b>	<b>28,72,119</b>	<b>15,86,057</b>	<b>12,11,763</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध ज

### जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को अदा की जाने वाली राशि को दर्शाने वाला विवरण

राशि रूप्यों में

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	01.04.2015 को आदि शेष	2014-15 तथा पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04.2015 को संग्रोधि त आदिशेष	अन्य केन्द्र से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	2015-16 के दौरान व्यय	31.03.2016 को अंत शेष
1	काजरी	41,247	-	41,247	-	2,41,267	3,47,681	1,47,661
	योग	41,247	-	41,247	-	2,41,267	3,47,681	1,47,661




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध- 3 प्रशिक्षण केंद्रों को पेशगी

राशि रूप्यों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान आदिशेष	01.04. 2015 को आदिशेष	अन्वय केंद्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत शेष
1	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारू	4,80,000	4,80,000	-	6,40,000	-	-	11,20,000
2	अपर निदेशक (एफसी), कृषि विभाग, सिकिम 136/15	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
3	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात (136/15)	81,819	81,819	-	1,60,000	-	-	2,41,819
4	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, (एएयू)	15,60,000	12,00,000	3,60,000	11,20,000	-	9,60,000	5,20,000
5	बनास हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी (136/15) (बीएचयू) मिर्जापुर	2,40,000	2,40,000	-	-	-	-	2,40,000
6	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, (बीसीकेवी)	1,054	1,054	-	2,40,000	-	2,39,784	1,270
7	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर (136/15) बीएयू	-	-	-	7,20,000	-	7,20,000	-
8	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएयू)	19,417	19,417	-	5,60,000	-	4,80,000	99,417
9	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, (सी ए आर आई)	2,65,192	57,553	2,07,639	-	22,447	-	1,85,192
10	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर, (सी ए यू)	80,000	80,000	-	-	-	-	80,000
11	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल (136/15)	1,60,000	1,60,000	-	2,40,000	-	80,000	3,20,000
12	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर, सीआईसीआर	39,600	39,600	-	-	-	-	39,600
13	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर, सीआईसीआर	1,69,760	1,69,760	-	80,000	-	-	2,49,760
14	सी ई ओ, ग्रामीण विकास टस्ट नोएडा (136/15)	-	-	-	80,000	-	-	80,000
15	नियंत्रक, बीएसकेकेवी, डपोली (136/15) केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ, सीआईएमएपी	92,821	88,799	4,022	-	-	-	84,022
16	नियंत्रक, च. एस के के विश्वविद्यालय, पालमपुर 136/15 (कुल्लू कांगड़ा, सिरमौर, बिलासपुर)	2,34,869	4,80,000	-2,45,131	-	-	4,46,798	2,01,667

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(द्वितीय सहायक)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंद्रियाराज

आर.आर. इंद्रियाराज  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के बैरन व्यय	01.04. 2015 को संगोषित आदिष्ट	अव्य केब्लों से/को हस्तांतरण	2015-16 के बैरन जारी राशि	वापसी	2015-16 के बैरन व्यय	31.03. 2016 को अंत होष
17	नियंत्रक, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (136/15)	1,14,799	-	1,14,799	-	-	98	-	1,14,701
18	नियंत्रक, आर ए यू, बीकानेर (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
19	नियंत्रक, एस के यू ए एस टी, राजौरी, जम्मू	2,77,401	-	2,77,401	-	5,60,000	-	71,771	7,65,630
20	नियंत्रक, वी एम एम के वी, महाराष्ट्र	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
21	नियंत्रक, सी के वी, छत्तीसगढ़ (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
22	नियंत्रक, आई जी के वी, रायपुर (सांतेवाड़ा)	41,314	-	41,314	-	-	-	-	41,314
23	नियंत्रक, आई जी के वी वी, रायपुर (136/15)	2,15,675	1,57,045	58,630	-	9,18,772	-	-	9,77,402
24	नियंत्रक, जे एन के वी वी, जबलपुर (136/15)	3,00,097	46,504	253,593	-	7,60,971	-	80,000	9,34,564
25	नियंत्रक, के वी ए और एफ एस यू, बिदर	746	-	746	-	80,000	-	-	80,746
26	नियंत्रक, एम पी यू ए और टी, उदयपुर	1,99,433	-	1,99,433	-	2,40,000	-	-	4,39,433
27	नियंत्रक, एस बी वी पी यू ए और टी, मेरठ (136/15)	2,50,611	-	2,50,611	-	3,89,389	-	74,428	5,65,572
28	नियंत्रक, एस डी ए यू, गुजरात (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	79,946	54
29	नियंत्रक, श्रे कश्मीर ए एस टी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	3,86,369	-	3,86,369	-	8,00,000	-	-	11,86,369
30	नियंत्रक, टी एन यू वी और ए एस, चेन्नई (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
31	नियंत्रक, यू ए एस, रायबुर	3,20,573	79,983	2,40,590	-	4,80,000	-	-	7,20,590
32	नियंत्रक, वी बी यू, पश्चिम बंगाल (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
33	नियंत्रक, एस के आर ए यू, बीकानेर (अलवर)	4,25,416	-	4,25,416	-	1,60,000	77,875	-	5,07,541
34	सी आर आई जे ए एक, बैरकपुर	1,250	-	1,250	-	-	-	-	1,250
35	सी आर आर आई, कटक	4,084	-	4,084	-	80,000	4,084	69,725	10,275
36	सी एस ए यू और टी, कानपुर	3,20,960	79,040	2,41,920	-	8,00,000	-	-	10,41,920

जम्मू प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह

(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिनाल

अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

राशि रुपयों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होब
37	दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट (136/15)	-	-	-	-	2,40,000	-	80,000	1,60,000
38	निदेशक, कृषि निदेशालय, मेघालय (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
39	निदेशक, सी पी आर आई, शिमला, (मोदीपुरम शिमला)	1,60,000	-	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000
40	निदेशक, डी एस आर, इंदौर (136/15)	16,423	-	16,423	-	-	-	-	16,423
41	निदेशक, हॉलीकास वी टी आई, हजारीबाग (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
42	निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर - गोआ (136/14)	29,750	-	29,750	-	80,000	29,750	61,585	18,415
43	निदेशक, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, झांसी (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
44	निदेशक, राष्ट्रीय केंद्र अनुसंधान केन्द्र, त्रिची (136/14)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
45	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (136/15)	13,076	-	13,076	-	-	-	-	13,076
46	निदेशक, वी पी के ए एस, अल्मोडा	4,10,000	1,33,767	2,76,233	-	-	-	-	2,76,233
47	निदेशक, काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिणा कन्नड़	-	-	-	-	1,00,000	-	-	1,00,000
48	निदेशक, काजरी, जोधपुर	2,40,767	-	2,40,767	-	80,000	24,177	-	2,96,590
49	निदेशक, सी आई ए एच, बीकानेर (पंचमहल)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
50	निदेशक, सी आई एस एच, लखनऊ	80,000	-	80,000	-	1,60,000	-	-	2,40,000
51	निदेशक, सी आई टी एच, श्रीनगर	2,40,000	-	2,40,000	-	80,000	-	-	3,20,000
52	निदेशक, सी एम एफ आर आई, कोच्चि, केरला	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
53	निदेशक, क्रीडा परिसर, हैदराबाद (136/15)	-	-	-	-	73,941	-	73,941	-
54	निदेशक, कृषि विभाग, मिजोरम (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
55	निदेशक, अरुणाचल प्रदेश कृषि निदेशालय, (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
56	निदेशक, एन ई एच के लिए भा.कृ.अनु.प. बड़ापानी	2,40,000	80,000	1,60,000	-	7,20,000	-	-	8,80,000

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह

(द्वितीय सहायक)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल

महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंद्रियाराव

आर.आर. इंद्रियाराव

अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट व्यय	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट व्यय	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होब
57	निदेशक, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़पानी	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
58	निदेशक, आई आई की आर, वाराणसी	1,60,000	-	1,60,000	-	80,000	-	-	2,40,000
59	निदेशक, एन बी पी जी आर, नई दिल्ली (136/15)	32	-	32	-	-	-	-	32
60	निदेशक, सी पी सी आर आई, कसारगॉड (136/15)	1,60,000	79,911	80,089	-	-	89	-	80,000
61	निदेशक, कृषि निदेशालय, गोआ (136/15)	12,689	-	12,689	-	-	-	-	12,689
62	निदेशक, भा.कृ.अ.प. परिसर, पुराना गोआ (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
63	निदेशक, आई सी ए आर, आरसी, एन ई एच क्षेत्र उमियम, मेघालय	4,80,000	-	4,80,000	-	1,60,000	-	80,000	5,60,000
64	निदेशक, आई आई ए बी, रांची (136/15)	878	-	878	-	-	-	-	878
65	निदेशक, आई आई एच आर, बंगलुरु (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
66	निदेशक, आई आई एस आर, कालीकट (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
67	निदेशक, एम एस आर एफ, चैन्नई	1	-	1	-	-	-	-	1
68	निदेशक, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेदजिकेमा (136/15)	80,000	-	80,000	-	80,000	-	-	1,60,000
69	निदेशक, अनुसंधान, एस एच आई ए टी एस, इलाहाबाद (136/15)	-	-	-	-	3,20,000	-	240,000	80,000
70	निदेशक, आई ए आर आई, नई दिल्ली	1,49,866	-	1,49,866	-	80,000	-	-	2,29,866
71	मृगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़, गुजरात	5,985	-	5,985	-	-	-	-	5,985
72	औषधीय एवं सुगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय	1,60,000	-	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000
73	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	8,440	-	8,440	-	-	-	-	8,440
74	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर, पुणे	19,338	-	19,338	-	-	-	-	19,338
75	एफ आर आई, देहरादून (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
76	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, देहरादून	4,83,652	80,000	4,03,652	-	4,80,000	-	-	8,83,652

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाथ

आर.आर. हंदिनाथ  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

राशि रुपयों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट	अव्य केब्लों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होब
77	आई सी ए आर अनुसंधान पटना (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
78	आई जी एफ आर आई, झांसी (136/15)	80,000	-	80,000	-	80,000	-	-	160,000
79	आई आई एच आर, बंगलुरु, शोभाकारी फसल प्रभाग	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
80	आई आई एच आर, बंगलुरु, सब्जी फसल प्रभाग	1,56,532	-	1,56,532	-	-	-	-	1,56,532
81	आई आई पी आर, कानपुर	3,705	-	3,705	-	-	3,705	-	-
82	आई आई एस आर, कालीकट	95,373	-	95,373	-	-	-	-	95,373
83	आई आई एस आर लखनऊ (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
84	आई आई पी आर, वाराणसी निदेशक, आई आई पी आर, कानपुर, मुल्तार	2,246	-	2,246	-	-	-	-	2,246
85	जे ए यू, जूनागढ़	68,804	-	68,804	-	3,20,000	-	-	3,88,804
86	संयुक्त निदेशक, मा.कृ.अ.प. का एन ई एच के लिए अनुसंधान परिसर, त्रिपुरा	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
87	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केएयू (वेल्लानिकारा, पालघाट)	5,76,393	1,92,286	3,84,107	-	1,60,000	-	-	5,44,107
88	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, एम ए यू	60,000	-	60,000	-	-	-	-	60,000
89	एम पी के वी, राहुरी निदेशक, डी एम आर, भरतपुर	80,000	-	80,000	-	80,000	-	46,271	1,13,729
90	नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद (136/15) एन डी यू ए एण्ड टी	2,40,000	-	2,40,000	-	4,80,000	-	-	7,20,000
91	एन ए यू नवसारी, गुजरात (136/15)	81,150	49,398	31,752	-	-	-	-	31,752
92	केंद्रीय नौबर्गीय फल अनुसंधान संस्थान	16,537	-	16,537	-	-	16,537	-	-
93	एन आर सी - ऑर्किड, सिक्किम	80,000	-	80,000	-	160,000	-	160,000	80,000
94	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुवनेश्वर (136/15), (ओयूएटी)	5,02,400	-	5,02,400	-	13,55,000	-	-	18,57,400
95	पी ए यू, लुधियाना	17,983	12,515	5,468	-	2,22,017	-	2,22,267	5,218

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिनाल

आर.आर. इंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के बैरन व्यय	01.04. 2015 को संगोषित आदिष्ट	अव्य केब्लों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होष
96	कार्यक्रम समन्वयक, डी डब्ल्यू आर, करनाल (136/15)	42,306	-	42,306	-	-	42,306	-	-
97	पी डी के वी, अकोला पूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल, सी ए डी सी, कोलकाता (136/15)	3,60,000	80,000	280,000	-	80,000	-	-	3,60,000
98	प्रधान निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग, तदौग	80,000	-	80,000	-	80,000	-	-	1,60,000
99	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, शारदानगर, बारामती (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
100	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, जलना (136/15)	1,054	-	1,054	-	-	-	-	1,054
101	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, धलाई (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
102	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इरोड, तमिल नाडु	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
103	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के, इडुक्की, केरल	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
104	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के कुरनूल (136/15)	79,576	-	79,576	-	-	-	-	79,576
105	कार्यक्रम समन्वयक, के वी के विशाखापट्टनम (136/15)	1,422	-	1,422	-	-	-	-	1,422
106	परियोजना निदेशक, पुष्पविज्ञान निदेशालय, आई ए आर आई, नई दिल्ली (136/15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
107	परियोजना निदेशक, डी एम आर, नई दिल्ली	78,359	-	78,359	-	-	-	-	78,359
108	परियोजना निदेशक, डी आर आर, हैदराबाद	4,00,000	-	4,00,000	-	1,27,000	-	-	5,27,000
109	राजा दिनेश सिंह के वी के, प्रतापगढ़, (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
110	राजमाता विजय राजे सिधिया कृषि विद्यापीठ, ग्वालियर, (आर वी एस के वीकी) 136/15	71,761	-	71,761	-	7,10,000	-	5,50,000	2,31,761
111	राम कृष्ण आश्रम, दक्षिण 24 परगना (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
112	आर ए यू, पूसा	1,75,340	-	1,75,340	-	3,20,000	-	-	4,95,340
113	सचिव, राम कृष्ण मिशन आश्रम, रांची (136/15)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

राशि रुपयों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संशोधित आदिष्ट	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होष
114	सचिव, विकास भारती, गुमला, झारखण्ड (136 / 15)	182	-	182	-	-	-	-	182
115	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर (टीएनएयू) पैचीपरई, कन्याकुमारी, धर्मसी	2,40,781	2,39,219	1,562	-	2,40,000	-	-	2,41,562
116	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1,606	-	1,606	-	-	-	-	1,606
117	यू ए और एच एस, शिमोगा, कर्नाटक (136 / 15)	8,881	-	8,881	-	-	-	-	8,881
118	यू ए एस, भागलकोट (136 / 15)	13,431	-	13,431	-	4,00,000	-	-	4,13,431
119	यू ए एस, धारवाड़ वानिकी महाविद्यालय, सिससी (136 / 15)	-	-	-	-	1,60,000	-	-	1,60,000
120	यू ए एस, जी वी के वी (हड्डोनाहल्ली, कनडली)	4,79,706	3,20,000	1,59,706	-	4,00,000	-	-	5,59,706
121	यू वी के वी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल (136 / 15)	1,60,000	-	1,60,000	-	3,20,000	-	-	4,80,000
122	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (सईदपुर फार्म, बीजापुर)	4,61,779	-	4,61,779	-	3,89,257	-	57,201	7,93,835
123	यू यू एच और एफ, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड (136 / 15)	80,000	-	80,000	-	1,60,000	-	-	2,40,000
124	डब्ल्यू वी यू ए और एफ एस, कोलकाता (136 / 15)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
125	वाई एस पी यू एच और एफ सोलन (चंबा)	4,13,967	2,40,000	1,73,967	-	3,99,871	-	-	5,73,838
126	वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश (136 / 15)	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
127	आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल 8, बंगलुरु	1,490	-	1,490	-	-	-	-	1,490
128	राष्ट्रीय जीवविज्ञान अकादमी, चैन्नई	2,00,000	-	2,00,000	-	-	-	-	2,00,000
129	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अनु.प. आंचल-1, लुधियाना, पंजाब	80,000	-	80,000	-	80,000	-	-	1,60,000
130	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अनु.प. आंचल-2, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
131	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अनु.प. आंचल-3, बड़ापानी, मेघालय	48,070	-	48,070	-	31,930	-	72,935	7,065

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंद्रियानी

आर.आर. इंद्रियानी  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत षोष
132	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अनु.प. अंचल-4, कानपुर, उत्तरप्रदेश	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
133	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अनु.प. अंचल-5, हैदराबाद	3,306	-	3,306	-	76,694	-	59,809	20,191
134	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प., अंचल-6, जोधपुर	-	-	-	-	4,00,000	-	28,510	3,71,490
135	आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अनु.प. अंचल-7, जबलपुर	5,533	-	5,533	-	74,467	-	80,000	-
136	निदेशक (कृषि), अरुणाचल प्रदेश सरकार, कामेंग, लोअर सुबनसिरी, गेकु, कोडक), अपर सुबनसिरी	80,000	-	80,000	-	4,00,000	-	-	4,80,000
137	केवीके, पपूमपेयर	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
138	निदेशक, एनआरसी (सूअर), रानी, गुवहाटी - केवीके गोलपारा	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
139	जेएफसीपीसीएस, उचीओउ, बिशनपुर, मणिपुर	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
140	फीड्स, हंगबुंग, सेनापति, मणिपुर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
141	कृषि निदेशालय, मणिपुर सरकार, थोउबाल, मणिपुर	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
142	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, मिजोरम सरकार	-	-	-	-	4,00,000	-	-	4,00,000
143	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, नागालैंड सरकार, कोहिमा, टयुसंग	160,000	-	160,000	-	400,000	-	-	5,60,000
144	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, मेघालय सरकार, शिलोंग	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
145	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, ग्याबा	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
146	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशक, त्रिपुरा सरकार	80,000	-	80,000	-	80,000	-	-	1,60,000
147	सरपंज समाज, नई दिल्ली (ओरैया)	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय प्रशासक)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंदिनाल

आर.आर. हंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

राशि रुपयों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होब
148	कल्याण, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
149	निदेशक, आईसीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	7,948	-	7,948	-	72,052	-	-	80,000
150	ग्राम नव निर्वाण समिति, जयप्रकाश नगर, जम्मीकुंटा, करीमनगर	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
151	निदेशक, सीटीआरआई, आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
152	श्री अरविन्दो इस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गड्डापल्ली, नालगोंडा, साइड	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
153	भगवततुला चैरिटेबल ट्रस्ट, विशाखापट्टनम	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-
154	प्रवार इस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन नैचुरल एंड सोशल साइंस, अहमदनगर, पायरेस	-	-	-	-	80,000	-	79,858	142
155	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली - बीडू	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
156	सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव, जामोद, बुलगाणा	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
157	संत नामदेव सेवा भावी संस्था, हिंगोली	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
158	कृषि विज्ञान केन्द्र लातूर (केवीकेएल)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
159	डॉ. हेडगेवार सेवा समिति, नंदुरबार	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
160	यशवंतरो छावन महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, (यशवंतरोछावन)	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
161	गवरी कृषि प्रतिष्ठान, शोलापुर	9,284	-	9,284	-	70,716	-	-	80,000
162	नियंत्रक, एनएयू, गुजरात (केवीके), नवसारी, नर्मदा	1,60,000	1,12,955	47,045	-	2,40,000	-	-	2,87,045
163	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनामी (स्योर) बाइमेर	80,000	-	80,000	-	-	58,553	-	21,447
164	नियंत्रक, वनस्थली विश्वविद्यालय, टोंक	3,225	-	3,225	-	-	-	-	3,225

जय प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिनाल

आर.आर. इंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होब
165	लोक भारती ग्रामीण विद्यापीठ, सनोसारा, भावनगर	32,220	-	32,220	-	-	-	-	32,220
166	अम्बूजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडीनार	32,950	-	32,950	-	-	-	-	32,950
167	मंगल भारती, स्थान एवं डाकघर गोलामदी, वड़ोदरा, गुजरात	4,530	-	4,530	-	-	4,530	-	-
168	सैंटर फार रूरल डेवलपमेंट एंड एन्वायरमेंट, भोपाल - सेहोर	-	-	-	-	80,000	-	79,500	500
169	अध्यक्ष, केएच पाटिल, एग्रीकल्चरल साइंसिस फाउंडेशन, गदग (हुलकोटी)	38	-	38	-	-	-	-	38
170	पूर्व सचिव, मर्यादा, बंगलुरु - इरोड	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
171	अध्यक्ष, कृषियन एजेंसी फॉर रूरल ऐठनामहिता डेवलपमेंट, तिरुवल्ला - कोलमगोम सीएफआरपीडी	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
172	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 136/15, एएमवीएचईटीआई	3,475	-	3,475	-	-	-	-	3,475
173	एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, बारामती, पुणे - शारदा नगर	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
174	मराठावाडा शेती सहाय मंडल, औरंगाबाद - जलना	78,946	-	78,946	-	80,000	-	-	158,946
175	श्रान साधना अमरावती (बादनेर) (दुर्गापुर)	-	-	-	-	-	-	80,000	-
176	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा निलायम, चितौड़ (आरएसएस)	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
177	सचिव, जेएसएस महाविद्यापीठ, मैसूर (सुत्तूर)	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
178	सचिव, श्री अविनाशलिगम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ होम साइंस, कोयम्बटूर (विवेकानंदपुरम) एसएआईएचईएचसी	78,578	-	78,578	-	-	-	-	78,578
179	कृषि निदेशक, भारत सरकार, पणजी (दक्षिण गोआ)	53,270	-	53,270	-	-	-	-	53,270
180	कृषि निदेशक पोंडिचेरी	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000

जम प्रकाश सिंह  
 जे.पी. सिंह  
 (वित्तीय सलाहकार)  
 पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
 एनएसएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

21/02  
 आर. सी. अग्रवाल  
 महा पंजीकार  
 पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
 एनएसएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिवाल  
 अध्यक्ष  
 पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
 एनएसएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

राशि रुपयों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट व्यय	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट व्यय	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होष
181	महासचिव, यूपीएसआई, कनूर, नीलगिरि	3,452	-	3,452	-	-	-	-	3,452
182	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज, कुमिली	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
183	नागालैंड विश्वविद्यालय, जुनहेबोतो	80,000	80,000	-	-	-	-	-	-
184	केएसआर कॉलेज ऑफ टेकनोलॉजी, तिरुवेगोडे, तमिल नाडु	1,60,000	1,60,000	-	-	-	-	-	-
185	रजिस्ट्रार, अमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
186	यूसएस, बंगलुरु	80,000	-	80,000	-	350,000	-	4,30,000	80,000
187	निदेशक, बायोवेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री एण्ड टेक, अलाहाबाद	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000
188	दीनदयाल शोध संस्थान, केवीके, प्रायोजित	1,60,000	-	1,60,000	-	-	-	-	1,60,000
189	अध्यक्ष, नवभारत शिक्षा और सामाजिक अनुसंधान संस्था	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
190	स्वश्रया भारत	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-
191	निदेशक, यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट	-	-	-	-	2,40,000	-	1,60,000	80,000
192	निदेशक, एनबीआरआई, लखनऊ	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
193	सचिव, भागवत भक्ति आश्रम	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
194	एएफ एण्ड एओ, सीआईटीएच, श्रीनगर (बारामुल्ला)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
195	सचिव, एस के चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट, नई (मधुबनी)	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
196	महासचिव, ग्राम निर्माण मंडल, केवीके, नवादा, बिहार	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
197	भा.कृ.अनु.पु.-आईआईएनआर एण्ड जी, रांची	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
198	उपायुक्त सह अध्यक्ष, सुजानी	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
199	नियंत्रक, आरएमवीयू, हाऊराह	-	-	-	-	80,000	-	78,760	1,240
		-	-	-	-	80,000	-	-	80,000

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिनाल

आर.आर. इंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगोषित आदिष्ट	अव्य केब्लों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होष
200	सचिव, सेवा भारती, मिडनापुरे, पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
201	नियंत्रक, नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
202	नियंत्रक, इलाहाबाद कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
203	केवीके	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
204	अध्यक्ष, केआरबीएस एजुकेशन सोसायटी, लखनऊ	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
205	निदेशक, डा. भीम राव अम्बेडकर, वेलाफेयर सोसायटी, इलाहाबाद	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
206	श्री हनुमंतराया एजुकेशन एण्ड चैरिटी सोसायटी, केवीके कुर्नूल	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
207	नियंत्रक, डा. यू.सं. वैकट्रमागुडे	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
208	नियंत्रक, टी. एस. कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	-	-	-	-	2,40,000	-	1,60,000	80,000
209	यूथ फॉर एक्शनरू सिकंदराबाद	-	-	-	-	80,000	-	76,410	3,590
210	नियंत्रक, पीवी नरसिम्हा राव टीएस पशु-चिकित्सालय विश्वविद्यालय, हैदराबाद	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
211	गोखले एजुकेशन सोसायटी,	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
212	अध्यक्ष, सुबाइड फाल्डेशन, वसीम	-	-	-	-	80,000	-	79,950	50
213	वसंतो नायक मराठावाड़ा कृषि विद्यापीठ, प्रभाती	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
214	सिंधुदुर्ग जिला कृषि प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग	-	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000
215	नियंत्रक, एसकेएनएयू, जोबनर	-	-	-	-	4,00,000	160,000	-	2,40,000
216	नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	-	-	-	-	2,40,000	-	-	2,40,000
217	नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	-	-	-	-	2,40,000	-	-	2,40,000

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय प्रशासक)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

2102

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. हंचिवाल

आर.आर. हंचिवाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

राशि रुपयों में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01.04. 2015 को आदिष्ट व्यय	2014-15 और पिछले वर्षों के दौरान व्यय	01.04. 2015 को संगठित आदिष्ट व्यय	अव्य केन्द्रों से/को हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	वापसी	2015-16 के दौरान व्यय	31.03. 2016 को अंत होष
218	कार्यक्रम समन्वयक, केवीके, समोदा	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
219	पंजीकार, आईआईएस विश्वविद्यालय	-	-	-	-	80,000	-	55,134	24,866
220	अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस 2016	-	-	-	-	5,00,000	-	5,00,000	-
221	सचिव, आईएसवीएस, वाराणसी	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
222	कृषि विज्ञान केन्द्र, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी	-	-	-	-	80,000	-	-	80,000
223	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान, भा.कृ.अनु.प.-केवीके, पथएनमथिडटा	-	-	-	-	80,000	142	-	79,858
	<b>योग</b>	<b>1,96,91,746</b>	<b>46,88,975</b>	<b>1,50,02,771</b>	<b>-</b>	<b>2,79,98,875</b>	<b>4,44,293</b>	<b>74,27,785</b>	<b>3,51,29,568</b>

जम प्रकाश सिंह

जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

21/02

आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012

आर.आर. इंदिनाल


आर.आर. इंदिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012



## अनुबंध- ट बाहरी व्यक्तियों को पेशगियां

राशि रुपयों में


क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	01.04.2015 को आदिशेष	पिछले वर्ष का व्यय	भीतरी/बाहरी हस्तांतरण	2015-16 के दौरान जारी राशि	2015-16 के दौरान व्यय	धन वापसी	31.03.2016 को अंत शेष
1	एशियन एग्री-हिस्ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट	-	-	-	4,125	4,125	-	-
2	निदेशक जीपीओ, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-
3	एनश्योर सपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	-	-	-	27,810	27,810	-	-
4	फ्रेंकिंग मशीन जीपीओ	-	-	-	2,50,000	2,50,000	-	-
5	इंडियन सोसायटी ऑफ सीड स्पाइसिस, अजमेर	-	-	-	50,000	50,000	-	-
6	लैकसिस नैकसिस	-	-	-	23,800	23,800	-	-
7	नेशनल इश्योरेंस लिमिटेड	-	-	-	5,364	5,364	-	-
8	एनएनएस इवेंटस एंड एकजीबीशंस प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	1,48,652	-	-	1,48,652.00
9	पेटेंट एण्ड ट्रेडमार्क केसिस, दिल्ली	-	-	-	5,100	5,100	-	-
10	सहारा नेट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	3,03,908	-	-	-	-	-	3,03,908
11	सचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन	-	-	-	80,000	-	-	80,000
12	सचिव, भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	-	-	-	20,000	20,000	-	-
13	स्वामी पब्लिशर्स	-	-	-	600	600	-	-
14	यूएस, बंगलुरु	2,50,000	2,50,000	-	-	-	-	-
15	जैडपीडी अंचल-3, भा.कृ.अ.प., उमियम, मेघालय	50,000	-	-	-	-	-	50,000
16	एमपीकेवी राहुरी	-	-	-	5,63,140	5,63,140	-	-
17	इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नोनी साइंस, चेन्नई	-	-	-	50,000	-	-	50,000
	<b>योग</b>	<b>6,03,908</b>	<b>2,50,000</b>	<b>-</b>	<b>12,28,591</b>	<b>9,49,939</b>	<b>-</b>	<b>6,32,560</b>



**जे.पी. सिंह**  
(वित्तीय सहायकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



**आर. सी. अहवाल**  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




**आर.आर. हंदिनाल**  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध त स्टाफ को पेशगी

राशि, रूपयों में


क.सं.	लाभार्थी का नाम	2014-15 के दौरान पेशगी
1	डीडीओ	7,10,900
2	ए सी शर्मा – गुवहाटी	20,000
3	रवि प्रकाश	2,35,000
4	डी एस मिश्रा	25,000
5	दीपल रॉय चौधरी	27,000
	<b>योग</b>	<b>10,17,900</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध ड/क अदा की गई वैधानिक देयताएं


राशि, रूपयों में

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	सी जी ई जी आई एस	19,860
2	सी जी एच एस	3,900
3	जी पी एफ – 108/02	8,71,000
4	सी पी एफ	1,92,000
5	जी पी एफ ऋण 1	-
6	जी पी एफ ऋण 2	-
7	टीडीएस – विज्ञापन	-
8	टीडीएस – ठेकेदार	2,71,965
9	टीडीएस – व्यवसायविद	62,901
10	टीडीएस – वेतन	15,62,504
11	एन पी एस	12,24,092
12	व्यवसाय कर	2,496
	<b>योग</b>	<b>42,10,718</b>

## अनुबंध ड/ख अन्य भत्ते

राशि, रूपयों में


क.सं.	विवरण	राशि
1	एचबीए	49,460
2	लाइसेंस फीस	38,560
3	अन्य (108 / 11)	1,30,500
	<b>योग</b>	<b>2,18,520</b>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## अनुबंध ढ प्रशिक्षण केन्द्रों से पेशगी वापसी

राशि, रूपयों में

क.सं.	प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम	प्राप्त राशि
1	केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर (सीएआरआई)	22,447
2	नियंत्रक, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 136/15	98
3	नियंत्रक, एसकेआरएयू, बीकानेर (अलवर)	77,875
4	सी आर आर आई, कटक	4,084
5	निदेशक, भा.कृ.अ.प. गोआ के लिए अनुसंधान परिसर (136/14)	29,750
6	निदेशक, काजरी जोधपुर	24,177
7	निदेशक, सीपीसीआरआई कसारगॉड 136/15	89
8	आईआईपीआर, कानपुर	3,705
9	केंद्रीय नींबूवर्गीय फल अनुसंधान संस्थान	16,537
10	परियोजना निदेशक, डीडब्ल्यूआर करनाल 136/15	42,306
11	सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनोमी (शयोर) बाड़मेर	58,553
12	मंगल भारती, एटी एण्ड पीओ गोलागामदी, वड़ोदरा, गुजरात	4,530
13	नियंत्रक, एसकेएनएयू, जोबनर	1,60,000
14	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान, भा.कृ.अ.प.-केवीके, पथएनमथिट्टा	142
	<b>योग</b>	<b>4,44,293</b>

## अनुसूची 24

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पीपीवी और एफआरए की प्रमुख लेखा नीतियां

### 1. लेखाकरण प्रणाली


वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं जो भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के संदर्भ में लागू होते हैं तथा लेखा महानियंत्रक द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखे की निर्धारित विधियों को अपनाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

### 2. अचल सम्पत्तियां

- क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्रभार में लिया जाता है।
- ख) अचल सम्पत्तियों की लागत कुल मूल्यह्रास को घटा कर लगाई जाती है। लागत में खरीद मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी प्रत्यक्ष ऐसी लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को लाने में लगी हो या उसे कार्यशील बनाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/ उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे उस अवधि से संबंधित हो जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।
- ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण पूंजी आरक्षण में नामे किए गए मूल्य पर किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

### 3. मूल्यह्रास

- क) मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए गए मूल्य पर लिखा जाता है।
- ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंघिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित मान लिया जाता है।

### 4. पट्टेदारी

पट्टेदारी किराए पट्टेदारी की शर्तों के अनुसार अदा किए जाते हैं।

### 5. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि को लेखा अवधि से पहले पहचाना जाता है और इसे अनुमानित या वसूली योग्य राशि के प्रभार के रूप में दर्ज किया जाता है।

### 6. फुटकर व्यय

आगे लाया गया राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है उस वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

### 7. सरकारी अनुदान/योगदान

(क) एकमुश्त अनुदान सहायता पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त होती है। अनुदान सहायता से सृजित ह्रासशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों पर भी मूल्यह्रास कॉर्पस/पूंजीगत निधि के विरुद्ध लिया जाता है जो उस परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के समाप्त होने के बाद होते हैं तथा इन्हें आय तथा व्यय लेखे में आय के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्व व्यय से अधिक अनुदान की शेष राशि को वर्ष के अंत में कॉर्पस/पूंजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है। डीयूएस केन्द्रों तथा अन्य को अनुदान सहायता/अनुदान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद दिए जाते हैं तथा निर्धारित फार्मेट में लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उन्हें पेशगी के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। ये प्रमाण पत्र संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्य से प्राप्त होने चाहिए। वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्रों/

अन्य लेखों के अंतर्गत अनुदान सहायता में नामे किया जाता है जो अग्रिम लेखे के रूप में होता है तथा पेशगी की शेष बची राशि वर्ष के अंतिम दिन अनप्रयुक्त अनुदान के रूप में बनी रहती है।

(ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्षों में प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को संबंधित चालू वर्ष में लेखाकृत किया जाता है तथा इसे पूर्वावधि समायोजन लेखा के रूप में लेखाकृत किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि अदा की गई पेशगी राशि से अधिक है, प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की गई है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की गई है तथा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया गया है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

#### 8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को मौजूद विनिमय दर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।

#### 9. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

क) नई पेंशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।

ख) ग्रेच्युटी संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता वास्तविक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

#### 10. कर-निर्धारण

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों

के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

#### 11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

किसी नाप में अनुमान की पर्याप्त मात्रा से संबंधित प्रावधानों को तब लागू किया जाता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में ऐसा करना आवश्यक हो और यह संभावना व्यक्त की गई हो कि संसाधन फालतू हो सकते हैं। आकस्मिक देयताओं को पहचाना नहीं जाता है बल्कि लेखे के एक भाग के रूप में टिप्पणियों में दर्ज किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

#### 12. आय और व्यय

इस पैराग्राफ के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को वास्तविक आधार पर लेखे के विशिष्ट और प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/ देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।'

ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

घ) तुलन-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या खुलासे की विधि का पता लगाने में भौतिकता की संकल्पना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

### 13. राजस्व पहचान


- क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है।
- (ii) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा अदा की गई अग्रिम राशि को और संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।
- ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को देयता के रूप में माना जाता है जो दावेदारों को देय दायिता के रूप में तब माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।

- घ) पेशगी प्राप्त किया गया पीवीजे का चंदा अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व अदा किए गए लेखे के रूप में दर्ज किया जाता है।
- ड.) ब्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

### 14. पृथक खुलासा

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक से खुलासे किए जाते हैं :

- क) 'पूर्व अवधि में' वाली वे मदें जो ऐसे आय अथवा व्यय का हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।
- ख) 'अति-असामान्य' मदें जो उस आय या व्यय की भौतिक मदें होती हैं जो ऐसी घटनाओं या लेन-देनों से उत्पन्न होती हैं जो सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, अतः इन्हें जल्दी-जल्दी या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'फुटकर आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'फुटकर व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखा शीर्ष में अलग से दर्शाया जाता है।




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



## अनुसूची 25

### 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

#### 1. आकस्मिक देयताएं

- (i) उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जो आवेदकों ने राजपत्र अधिसूचना के पूर्व दायर किया था और जिसकी राशि 29.15 लाख रुपये के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय किया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
- (ii) कर्मचारियों/पक्षों द्वारा दाखिल किए गए दावों/न्यायालय मुकदमों के संदर्भ में देयता की मात्रा जांचने योग्य नहीं होती है।

#### 2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के पोर्टल का डिजाइन तैयार करने और विकास के लिए सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन को 26.04.2012 को 12,15,633/- रु. (1,33,724/- रु. के सेवा कर सहित) की राशि का आपूर्ति आदेश दिया गया था। तथापि, वर्ष 2012-13 के दौरान कुल लागत का 25 प्रतिशत अर्थात् 3,03,908/- रुपये की कुल राशि अदा की गई शेष 9,11,725/- रुपये का 75 प्रतिशत दिनांक 31.03.2016 को अदा की जानी हैं क्योंकि पोर्टल की डिजाइनिंग और उसका विकास एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और इसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एनआईसी के आंकड़ा केन्द्र पर परीक्षण, होस्टिंग और कार्यान्वयन संबंधी तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। तथापि, मैसर्स सहारा नेक्स्ट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपे गए सॉफ्टवेयर संबंधी कार्य की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इसी प्रकार, मैसर्स एडवेंचर को 'कृषक अधिकार कृषि विकास' पर एक फिल्म तैयार करने और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अनुवाद के लिए पत्र संख्या पीपीवी और एफआरए/21-25/2006/1264 दिनांक 14.05.2013 के द्वारा 4,40,451/- रुपये का आपूर्ति

आदेश दिया गया। तथापि, 31.03.2016 को 3,59,552 रुपये का भुगतान कार्य के आंबटित भाग के लिए किया गया और जैसाकि उक्त कार्य के उल्लेख में आंबटित किया गया है, 100 डीवीडी जमा करने के बाद बकाया राशि 80,889/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार, पूंजी लेख पर प्रतिबद्धताओं को 31.3.2016 को 9,92,614/- रुपये की राशि के संदर्भ में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

#### 3. पट्टे संबंधी देनदारियां

- (क) एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली स्थित प्राधिकरण की कार्यालय इमारत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राधिकरण द्वारा मासिक किराया 22,459 की दर से किराए पर ली गई है।
- (ख) गुवाहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों के लिए गुवाहाटी में इमारत कार्यालय हेतु असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू) से 30.12.2011 को 60,000 रु. प्रति वर्ष की दर से किराये पर लेने से संबंधित एक पट्टादारी समझौता लागू किया गया है और इसी प्रकार रांची में 50,000 रु. प्रतिवर्ष की दर से कार्यालय इमारत के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के साथ 01.09.2012 को एक पट्टा समझौता लागू किया गया है।
- (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 को 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हरभजन इन्क्लेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि पीपीवी और एफआरए को आंबटित की है। यह अवधि आपसी समझौते पर और भी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ. सं.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रु. प्रति वर्ष किराये की नाम मात्र दर पर एक लीज डीड लागू की गई है।

#### 4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

12वीं पंचवर्षीय योजना के ईएफसी ज्ञापन में पीपीपी और एफआरए के हिस्से के रूप में पौधा किस्म भवन निर्माण हेतु प्रावस्था के आधार पर 62.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हरभजन सिंह इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480 वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर पीपीवी और एफआरए को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने ईमारत निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है और आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त कर ली हैं। इस दौरान योजना आयोग ने प्रस्तावित पौधा किस्म भवन में एनआरएए व डीएसी को समायोजित करने की संभावना तलाशने के लिए यह मामला कृषि एवं सहकारिता विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त तलों के निर्माण की संभावना को तलाशने के लिए 24 अगस्त 2012 को डीएसी, एनआरएए, पीपीवी और एफआरए तथा यूपीआरएनएन के अधिकारियों के बीच एक सम्मिलित बैठक आयोजित हुई। बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि तीन अतिरिक्त तल तथा एक भूमिगत तल निर्मित किया जाएगा जिसमें से 2 तल एनआरएए और एक तल कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए होगा। ईमारत के क्षेत्र तथा लागत में साझीदारी के लिए पीपीवी और एफआरए तथा राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के बीच 07.04.2014 को एक समझौता ज्ञापन लागू किया गया।

इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार दो तलों के निर्माण की लागत, भूमिगत तल के निर्धारित भाग व अन्य सामान्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय को निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा के आधार पर राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने नीलामी, ड्राइंग तैयार करने और आकलन आदि जैसी प्रक्रियाओं पर अभी तक जो भी कार्य किया है वह पुनः किया जाएगा तथा डिजाइनों, ड्राइंगों, आकलन की बोली से संबंधित दस्तावेजों, संशोधित अनापत्तियों आदि पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा। पीपीवी और एफआरए ने इमारत के निर्माण के आरंभिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए ले आउट प्लान को पुनः तैयार करने में होने वाला व्यय का दावा जो 187.40 लाख रुपये है और जिसे यूपीआरएन लिमिटेड ने किया है, उस राशि का भुगतान एनआरएए द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि इमारत का निर्माण पूरा होने के बाद वार्षिक सामान्य रखरखाव तथा अनुरक्षा संबंधी व्यय में

इमारत के निर्मित क्षेत्र पर प्रोरेटा आधार पर एनआरएए की भी हिस्सेदारी होगी।

## 5. अचल सम्पत्तियां


भौतिक परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए 31.03.2016 को प्रबंधन द्वारा एक टीम गठित की गई। यह बताया गया है कि वहाँ परिसंपत्तियों में कोई कमी/अधिकता नहीं पायी गई।

## 6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा पेहागियां

(क) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से प्राप्य 45,000/-रु. की राशि पेशगी के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के पूर्व डीयूएस परीक्षण शुल्क के रूप में 3,16,12,000.00 और अदा की गई 77,36,500.00 रुपये की पेशगी राशि की देयता का समायोजन अभी होना बाकी है क्योंकि प्राप्त किए गए डीयूएस परीक्षण शुल्क के अलग-अलग मामलों तथा संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को अदा की जाने वाली पेशगियों को एक साथ जोड़ते हुए डीयूएस परीक्षण रिपोर्टों की तिथि से उनके द्वारा प्राप्त होने वाली राशि को समायोजित होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

(ग) डीयूएस केन्द्रों में पेशगियों के रूप में 01.04.2015/- को आदिशेष 2,07,61,744 रु. था और वर्ष 2015-16 में विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 3,91,79,207/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2015-16 के लिए 2,00,07,805/- रुपये के और वर्ष 2014-15 के लिए 39,58,093/- रुपये की राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2015-16 के लेखों के बंद होने तक प्राप्त किए गए। शेष 3,74,25,053 रु. की राशि 31.03.2016 को बकाया है क्योंकि संबंधित डीयूएस केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होना बाकी है - **अनुबंध ख और ग।**




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हिंगनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

- (घ) दिनांक 01.04.2015 को आदिशेष के रूप में नए डीयूएस केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 1,61,55,208/- रु. थी तथा वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों को 2,15,16,314/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2015-16 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2015-16 के लिए 45,90,067/- रुपये और वर्ष 2014-15 के लिए 48,27,463/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 2,71,18,036/- रुपये की राशि 31.03.2016 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं - **अनुबंध घ व ड।**
- (ङ) दिनांक 01.04.2015 को संदर्भ प्रयोगशालाओं को दी गई पेशगी की राशि 22,61,611/- रु. आदिशेष के रूप में 31.03.2016 को बकाया थी क्योंकि संबंधित संदर्भ प्रयोगशालाओं से राशि की वापसी या उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे - **अनुबंध च।**
- (च) दिनांक 01.04.2015 को आदिशेष के रूप में फील्ड जीन बैंकों को दी गई पेशगी की राशि 5,08,281/- रु. थी तथा वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न फील्ड जीन बैंकों को 31,13,386/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2015-16 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2015-16 के लिए 19,33,738/- रुपये और वर्ष 2014-15 के लिए 5,000/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 10,64,102/- रुपये की राशि 31.03.2016 को बकाया है क्योंकि संबंधित नए डीयूएस परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं - **अनुबंध छ एवं ज।**
- (छ) दिनांक 01.04.2015 को आदिशेष के रूप में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगी की राशि 1,96,91,746/- रु. थी तथा वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों को 2,78,98,875/- रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष 2015-16 के लेखों के बंद होने तक वर्ष 2015-16 के लिए 74,27,785/- रुपये और वर्ष 2014-15 के लिए 46,88,795/- रुपये की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं तथा 3,51,29,568/- रुपये की राशि 31.03.2016 को बकाया है क्योंकि संबंधित प्रशिक्षण परीक्षण केन्द्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बाकी हैं - **अनुबंध झ।**
- (ज) वर्ष के दौरान कुछ डीयूएस परीक्षण/परियोजना केन्द्रों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय से संबंधित प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के अनुसार अगले वर्ष के लिए समायोजित निधियों से 17,92,797/- रुपये अधिक था। चूंकि यह अतिरिक्त व्यय चालू वर्ष से संबंधित है, अतः वांछित देयता सृजित की गई है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी और यदि किया गया अतिरिक्त व्यय तर्कसंगत नहीं पाया गया तो सृजित की गई देयता को वापस ले लिया जाएगा।
- (झ) कुछ मामलों में पेशगियों को अस्थाई उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर समायोजित किया गया है इसके अलावा बकाया पेशगियों को डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुष्ट किए जाने पर समायोजित किया जाएगा।
- (ञ) डीयूएस केन्द्रों, नए डीयूएस केन्द्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों से वर्ष 2015-16 के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्तियों के लंबित होने के कारण संस्थाओं/संगठनों को अनुदान के विरुद्ध व्यय के लिए एकमुश्त देने का प्रावधान किया गया है तथा प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित क्रमशः 2,33,00,000/- और 2,04,00,000/- रुपये की राशि को आकलित आधार पर पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार समायोजित किया गया है।
- (ट) वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकृत होने की तिथि से एक वर्ष पूरे होने पर बकाया माना गया है। तदनुसार प्राप्य वार्षिक शुल्क, पहले से प्राप्त व वापसी योग्य राशि को 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार लेखाकृत किया गया है। किसी भी वार्षिक शुल्क को उस स्थिति में प्राप्त नहीं माना गया है जब वार्षिक शुल्क की बकाया तिथि के पहले पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि समाप्त हो गई हो। इसके अतिरिक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2009 के अनुसार प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत

किस्म के बीजों के बिक्री मूल्य और रायल्टी के कुछ प्रतिशत भाग को अदा करने की अपेक्षा की जाती है। दिनांक 31.03.2016 को 202 मामलों में बिक्री मूल्य तथा रायल्टी का हिस्सा बकाया था लेकिन प्राधिकरण ने केवल 13 से 60,81,630/- रुपये ही प्राप्त किए। बकाया राशि के लिए आय का लेखाकरण इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि प्रजनकों या एजेंटों और लाइसेंसों से बिक्री मूल्य का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था और इन मामलों में वांछित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई प्रजनक/एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों के दौरान शुल्क जमा कराने में असमर्थ हो जाता है तो एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और यदि इस नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन न किया जाए तो सभी देय सुरक्षाएं जब्त कर ली हुई घोषित की जाती हैं। दिनांक 31.03.2016 को 180 मामलों में लगातार दो वर्षों का वार्षिक शुल्क 7,70,101/- रुपये प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

#### 7. कर-निर्धारण


पीपीवी और एफआरए 2001 की धारा 91 के अनुसार "प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है" अतः वर्तमान और अदा की जाने वाली आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

#### 8. उच्चंत

मुख्यालय में 31.3.2016 को मुख्यालय में 21,996/-रु., रांची कार्यालय में 52/-रु. तथा गुवाहाटी कार्यालय में 767/-रु. उच्चंत राशि बकाया थी।

#### 9. जीन निधि

वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने प्राधिकरण निधि से 1,85,00,000/- रु. की राशि प्राप्त की तथा ब्याज, वार्षिक शुल्क व अन्य आय को खाते में लेते हुए जीन निधि खाते में 2,97,80,506/-रु. की शेष राशि हस्तांतरित की।




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सहायक)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंदिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

#### 10. चालू देयताएं

(क) दिनांक 31.03.2015 को देय 1,55,087/- रु. की राशि में से वर्ष के दौरान 1,12,111/- रु. की राशि अदा की गई और 42,976/- रु. की राशि शेष रही, जो समायोजन की प्रक्रिया में है। वर्ष 2015-16 के दौरान एनपीएस के रूप में 1,02,304/- रु. की राशि देय है।

#### 11. सरकारी अनुदान

भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस-12) के अनुसार ह्रासमान परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुमानों को इतर आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान आय और व्यय लेखे में मान्यता प्रदान की जाती है। तदनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूजी निधि के रूप में जोड़ा गया है जिसकी राशि 4,28,960/- रुपये है और वर्ष के दौरान वसूला गया मूल्यह्रास 12,13,294/- रुपये है जो संबंधित आय और व्यय लेखे के नाम में से कॉर्पस निधि से घटा दिया गया है।

#### 12. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) **ग्रेच्युटी** : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराई गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 10.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(क)	दिनांक 01.04.2015 को देनदारी का वर्तमान मूल्य	18,91,816/-
(ख)	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आय और व्यय लेखे में मान्यता प्राप्त व्यय	4,80,911/-
(ग)	वर्ष के दौरान भुगतान लाभ	(36,785)/-
(घ)	31.03.2016 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	23,35,942/-

### बीमांकित अवधारणाएं

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

प्रयुक्त की गई विधि – परिवीक्षित इकाई जमा विधि

छूट की दर 8.00 प्रतिशत

वेतन में भावी बढ़ोतरी 5.50 प्रतिशत

### 13. विदेशी मुद्रा लेन-देन

वर्ष 2015 और 2016 के दौरान प्राधिकरण द्वारा कोई विदेशी मुद्रा का लेन-देन नहीं किया गया है।

### 14. पूर्वावधि समायोजन लेखा

वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न डीयूएस केन्द्रों, परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को दी गई पेशगियों का समायोजन वर्ष 2013-14 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त

हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2013-14 या इससे पूर्व की अवधि से संबंधित वर्ष 2015-16 को प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को, पूर्वावधि व्यय शीर्षों के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। वर्ष 2014-15 से संबंधित जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2015-16 में प्राप्त हुए उन्हें प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को लेखे के प्रत्यक्ष शीर्ष के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, गैर दायिता वाली पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए संबंधित वर्षों में कोई दायिता सृजित नहीं की गई तथा इन्हें भी पूर्व अवधि समायोजन लेखे में लेखाकृत किया गया है।

### 15. पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़े पुनर-समूहित/पुनर-वर्गीकृत किए गए हैं जो चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप हैं।



कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)  
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)  
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-10/2016-17/

दिनांक: 5.10.16

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार  
कृषि मन्त्रालय,  
कृषि एवं सहकारिता विभाग  
कृषि भवन,  
नई दिल्ली-110001

**विषय : वर्ष 2015-16 के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन महोदया/महोदय,**

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भक्तदीय,

संलग्नक: यथोपरी

हस्ता -  
निदेशक (ए एम जी -IV)

कृ० प्र० ३०

Ph. : 91-11-23454100  
Fax : 91-11-23702271

A.G.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002  
e-mail : dgacr@cag.gov.in

गर  
10012




✓ ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-10/2016-17/1633

दिनांक: 5.10.16

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित महापंजिकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एन.ए.एस.सी. काम्प्लेक्स, (टोडा पुर के सामने), डी.पी.एस मार्ग, नई दिल्ली 110012 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरी

  
निदेशक (ए एम जी -IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/पी.पी.वी.एवं.एफ.आर.ए/9-10/2016-17/

दिनांक: 5.10.16

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट -ए बी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी

—हस्ता—  
निदेशक (ए एम जी -IV)

## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य और शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पीपीवी और एफआरए के संलग्न तुलन-पत्र और वर्ष में समाप्त आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों की लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणों में पीपीवी और एफआरए की 2 इकाइयों/शाखाओं के लेखे भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण पीपीवी और एफआरए प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है।
- पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखापरीक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाने, लेखाकरण मानकों और खुलासा के मानदंडों आदि पर भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (स्वामित्व तथा नियमितता) तथा दक्षता-एवं-कार्य निष्पादन आदि के साथ-साथ वित्तीय लेन-देनों के पहलुओं पर लेखापरीक्षा संबंधी पर्यवेक्षण निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किए गए हैं।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखापरीक्षा मानकों के साथ की है। इन मानकों में यह वांछित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त वित्तीय विवरण प्राप्त हुए हैं या नहीं इसे तर्कसंगत रूप से सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों और खुलासों की परीक्षण

आधार पर जांच शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आंकलनों व लेखापरीक्षा में प्रयुक्त सिद्धांतों का मूल्यांकन भी शामिल है और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सकल प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचार को तर्कसंगत आधार मिलता है।

- अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जरूरी हैं।

(ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समरूप फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।


(iii) हमारे विचार से पीपीवी और एफआरए द्वारा जैसा कि ऐसे बही खातों की हमारी जांच से दिखाई देता है, पीपीवी और एफआर अधिनियम 1962 की धारा 62(1) के अंतर्गत उचित बहीखाते तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

### (क) प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे

#### क.1 प्राप्तियाँ

(i) पीपीवी और एफआरए ने पौधा सुरक्षा भवन के निर्माण हेतु दिनांक 05-04.2016 को 150 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की लेकिन इसे प्राप्तियाँ




जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष

पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



तथा अदायगी लेखों (2015-16) में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्ति तथा बैंक तुलन के रूप में 150 लाख रुपये का ओवर स्टेटमेंट हुआ।

(ii) 50,21,177/- रुपये (सिंडिकेट बैंक 9,67,426/- रुपये तथा 40,53,751/- रुपये) की जमा अवधि पर ब्याज प्राप्तियों में शामिल न होने के परिणामस्वरूप 50.21 लाख रुपये का ओवर स्टेटमेंट हुआ।

### ख. सामान्य

(iii) प्राधिकरण ने मौजूदा देनदारियों में 7.38 लाख रुपये (योजना) के अप्रयुक्त अनुदान की जिम्मेदारी प्रदान नहीं की गई है।

(iv) प्राप्तियों और भुगतान खातों में इम्प्रेस्ट का जमा शेष 25,819/- रुपये दिखाया गया है जबकि वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम राशियाँ (अनुसूची 11) में 22,815/- रुपये लिया गया। जमा शेष में 3,004/- रुपये के अंतर का सामंजस्य किया जाये।

### ग. अनुदान सहायता

पीपीवी और एफआरए ने 2015-16 के दौरान 1585.44 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की है और इस प्रकार आदिशेष 14.56 लाख रुपये है। कुल 1600.00 लाख रुपये की निधि से 1592.62 लाख रुपयों का उपयोग हुआ और शेष 7.38 लाख रुपये की राशि खर्च न होने के कारण शेष रही।

(v) पूर्व पैराग्राफों में किए गए अपने पर्यवेक्षणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय व व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों के लेखे बहीखातों के अनुसार हैं।

(vi) हमारे विचार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कथित वित्तीय विवरण और उपरोक्त वर्णित उल्लेखनीय मामले व लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप होने का सच्चा और ईमानदार स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

क. जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है यह पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 31 मार्च, 2016 को उल्लिखित मामलों के अनुसार है; और

ख. जहां तक समाप्त वर्ष की तिथि पर आय और व्यय लेखे का संबंध है वहां यह वर्ष की समाप्त तिथि को अतिरिक्त राशि के मामले में अनुकूल है।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से  
महानिदेशक, लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय व्यय**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 06.10.2016

## अनुबंध

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षक विभाग नहीं है। तथापि, वर्ष 2014-15 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की गई।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण दुर्बल है और इसे सबल बनाने की जरूरत है:-

(i) पिछले रिलीज के संबंध में यूसीएस प्राप्त किए बिना डीयूएस केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान सहायता प्रदान की गई।

(ii) कुछ डीयूएस केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान सहायता प्रदान की गई हालांकि उनके द्वारा पिछले वर्षों कोई व्यय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में बड़ी अविगत राशि प्राप्त हुई।

(iii) वर्ष 2015-16 में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हुई।

### 3. अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करने की प्रणाली


वर्ष 2015-16 के लिए अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया।

### 4. विषय सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

लेखन सामग्री तथा उपभोग योग्य सामग्री आदि का मार्च 2016 तक भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई भौतिक कमी रिपोर्ट नहीं की गई।

### 5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता


दिनांक 31.03.2016 को वैधानिक देय के मामले में 6 माह से अधिक की अवधि का कोई भुगतान बकाया नहीं था।



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अहवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

## प्रबंधन का उत्तर

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर बिंदुवार उत्तर

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां	उत्तर
<p>1- हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य और शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पीपीवी और एफआर के संलग्न तुलन-पत्र और वर्ष में समाप्त आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों की लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणों में पीपीवी और एफआर की 2 इकाइयों/शाखाओं के लेखे भी शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण पीपीवी और एफआर प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का दायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है।</p> <p>2- पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखापरीक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाने, लेखाकरण मानकों और खुलासा के मानदंडों आदि पर भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (स्वामित्व तथा नियमितता) तथा दक्षता-एवं-कार्य निष्पादन आदि के साथ-साथ वित्तीय लेन-देनों के पहलुओं पर लेखापरीक्षा संबंधी पर्यवेक्षण निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किए गए हैं।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p> <p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>
<p>3- हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में स्वीकार किए गए सामान्य लेखापरीक्षा मानकों के साथ की है। इन मानकों में यह वांछित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि सामग्री के गलत विवरणों से मुक्त वित्तीय विवरण प्राप्त हुए हैं या नहीं इसे तर्कसंगत रूप से सुनिश्चित किया जा सके। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों और खुलासों की परीक्षण आधार पर जांच शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आंकलनों व लेखापरीक्षा में प्रयुक्त सिद्धांतों का मूल्यांकन भी शामिल है और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सकल प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचार को तर्कसंगत आधार मिलता है।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>


<p>4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :</p> <p>(i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जरूरी हैं।</p> <p>(ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समरूप फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।</p> <p>(iii) हमारे विचार से पीपीवी और एफआरए द्वारा जैसा कि ऐसे बही खातों की हमारी जांच से दिखाई देता है, पीपीवी और एफआर अधिनियम 1962 की धारा 62(1) के अंतर्गत उचित बहीखाते तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।</p> <p>(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p> <p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p> <p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>
<p><b>(क) प्राप्तियों एवं भुगतान के लेखे</b></p> <p><b>क.1 प्राप्तियां</b></p>	
<p>(i) पीपीवी और एफआरए ने पौधा सुरक्षा भवन के निर्माण हेतु दिनांक 05-04.2016 को 150 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की लेकिन इसे प्राप्तियां तथा अदायगी लेखों (2015-16) में प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त तथा बैंक तुलन के रूप में 150 लाख रुपये का ओवर स्टेटमेंट हुआ।</p>	<p>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंक नं: 958222 के स्वीकृति आदेश नं: 1-5/2015-एसडी.वी दिनांक 30.03.2016 को प्राधिकरण को रुपये 150 लाख रिलीज किये जो पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबंधित रुपये 150 लाख की अनुदान सहायता का भुगतान किया। हालांकि 150 लाख रुपये की राशि 05.04.2016 को प्राधिकरण के खाते में जमा कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रतिबिंबित लेखांकन सिद्धांतों में बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट का विवरण करते हुए 31.03.2016 को जमा राशि के रूप में दर्शाया गया है, परंतु 05.04.2016 को बैंक द्वारा क्रेडिट की गई। अतः प्राप्तियों और भुगतान खाते में रुपये 150 लाख का कोई अतिरिक्त विवरण नहीं है।</p>
<p>(ii) 50,21,177/- रुपये (सिंडिकेट बैंक 9,67,426/- रुपये तथा 40,53,751/- रुपये) की जमा अवधि पर ब्याज प्राप्तियों में शामिल न होने के परिणामस्वरूप 50.21 लाख रुपये का अंडर स्टेटमेंट हुआ।</p>	<p>जब फ्लोटिंग सावधि जमा स्वीप/आधुनिक लेखे के अंतर्गत जमा किया जाता है और एसबीआई में जमा मुख्य लेखे पर स्वीप लेखे का ब्याज स्वचालित रूप से एसबीआई के जमा शेष में आ जाता है। इस प्रकार स्वीप खाते पर ब्याज कारक स्वचालित रूप से जमा शेष में प्रतिबिंबित होता है। इसलिये वहाँ प्राप्तियों और बैंक बैलेंस में कोई अंडर स्टेटमेंट नहीं है। कुछ और जानकारी स्पष्टता के लिये नीचे दी गई हैं:- प्राधिकरण एसबीआई और सिंडिकेट बैंक के मुख्य खाते में निश्चित राशि स्पष्ट संतुलन के लिये रखता है। जब कभी प्राधिकरण बैंक के खाते में बैंक भुगतान के लिये पर्याप्त राशि नहीं होती, बैंक फ्लोटिंग सावधि जमा स्वीप/आधुनिक लेखे को तोड़कर आवश्यकतानुसार राशि को नकदीकरण ब्याज करता है और समय-समय पर प्राधिकरण के मुख्य खाते में राशि स्थानांतरण करता रहता है। कुल राशि ब्याज के समावेशी स्वीप/मोड़ खाते के नकदीकरण की प्राप्तियों और भुगतान में स्वचालित रूप से अंतरिम जमा शेष में परिलक्षित होता है। अतः वहाँ प्राप्तियों और बैंक बैलेंस में रुपये 50.21 लाख की कोई अंडर स्टेटमेंट नहीं है।</p>



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

<p><b>ख. सामान्य</b></p> <p>(iii) प्राधिकरण ने मौजूदा देनदारियों में 7.38 लाख रुपये (योजना) के अप्रयुक्त अनुदान की जिम्मेदारी प्रदान नहीं की गई है।</p> <p>(iv) प्राप्तियों और भुगतान खातों में इम्प्रेस्ट का जमा शेष 25,819/- रुपये दिखाया गया है जबकि वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम राशियों (अनुसूची 11) में 22,815/- रुपये लिया गया। जमा शेष में 3,004/- रुपये के अंतर का सामंजस्य किया जाये।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2015-16 में रुपये 7.38 लाख की बकाया राशि के लिये दो विकल्प उपलब्ध थे:-</p> <p>(i) राशि 31.03.2016 तक लौटाई जा सकती थी; और</p> <p>(ii) अगले वित्तीय वर्ष में कम की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी।</p> <p>चूँकि सामान्यतः अगले वित्तीय वर्ष में फंड विशेष रूप से शीर्ष वेतन (सैलरी हैड) में देर से प्राप्त होता है। इसलिये इस राशि को बैंक में रखा गया था।</p> <p>3004-/- रुपये के अंतर में पहले से ही सामंजस्य स्थापित किया जा चुका है।</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>शीर्षक</th> <th>अनुसूची 14 के अनुसार</th> <th>प्राप्ति व भुगतान के अनुसार</th> <th>अन्तर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डीयूएस जांच शुल्क</td> <td>12410000</td> <td>12430000</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>प्रवेश शुल्क</td> <td>15304200</td> <td>15304600</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>वार्षिक नवीकरण शुल्क</td> <td>1981000</td> <td>1821000</td> <td>160000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>कुल</b></td> <td><b>180400</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>इसको सामान्जस्य किया जाना है।</p>	शीर्षक	अनुसूची 14 के अनुसार	प्राप्ति व भुगतान के अनुसार	अन्तर	डीयूएस जांच शुल्क	12410000	12430000	20000	प्रवेश शुल्क	15304200	15304600	400	वार्षिक नवीकरण शुल्क	1981000	1821000	160000			<b>कुल</b>	<b>180400</b>	
शीर्षक	अनुसूची 14 के अनुसार	प्राप्ति व भुगतान के अनुसार	अन्तर																		
डीयूएस जांच शुल्क	12410000	12430000	20000																		
प्रवेश शुल्क	15304200	15304600	400																		
वार्षिक नवीकरण शुल्क	1981000	1821000	160000																		
		<b>कुल</b>	<b>180400</b>																		


<p><b>ग. अनुदान सहायता</b></p> <p>पीपीवी और एफआरए ने 2015-16 के दौरान 1585.44 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की है और इस प्रकार आदिशेष 14.56 लाख रुपये है। कुल 1600.00 लाख रुपये की निधि से 1592.62 लाख रुपयों का उपयोग हुआ और शेष 7.38 लाख रुपये की राशि खर्च न होने के कारण शेष रही।</p> <p>(v) पूर्व पैराग्राफों में किए गए अपने पर्यवेक्षणों के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय व व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और भुगतानों के लेखे बहीखातों के अनुसार हैं।</p> <p>(vi) हमारे विचार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने वाले कथित वित्तीय विवरण और उपरोक्त वर्णित उल्लेखनीय मामले व लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप होने का सच्चा और ईमानदार स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।</p> <p>क. जहां तक तुलन-पत्र का संबंध है यह पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के 31 मार्च, 2016 को उल्लिखित मामलों के अनुसार है; और</p> <p>ख. जहां तक समाप्त वर्ष की तिथि पर आय और व्यय लेखे का संबंध है वहां यह वर्ष की समाप्त तिथि को अतिरिक्त राशि के मामले में अनुकूल है।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p> <p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p> <p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>
---	---



जे.पी. सिंह  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



आर. सी. अग्रवाल  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012




आर.आर. हंचिनाल  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012

**प्रबंधन**

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों के प्रबंधन पर बिंदुवार उत्तर**

लेखापरीक्षा पर आधारित टिप्पणियां	उत्तर
<p><b>1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</b> नियमित स्टाफ की कमी के कारण प्राधिकरण का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षक विभाग नहीं है। तथापि, वर्ष 2014-15 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की गई।</p> <p><b>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</b> निम्नलिखित क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण दुर्बल है और इसे सबल बनाने की जरूरत है:-</p> <p>(i) पिछले रिलीज के संबंध में यूसीएस प्राप्त किए बिना डीयूएस केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान सहायता प्रदान की गई।</p> <p>(ii) कुछ डीयूएस केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान सहायता प्रदान की गई हालांकि उनके द्वारा पिछले वर्षों कोई व्यय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में बड़ी अविगत राशि प्राप्त हुई।</p> <p>(iii) वर्ष 2015-16 में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हुई।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p> <p>प्राधिकरण एक नियमित निकाय, सांविधिक संगठन है जो संसद के स्वाभाविक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया।</p> <p>i) यह अनुदान विभिन्न सरकारी संस्थानों जैसे कि आइसीएआर अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, एमओइएफ एंड सी सी के अंतर्गत अन्य अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र और सीएसआइआर को विभिन्न कार्यों के लिये डीयूएस परीक्षण सहित संदर्भ किस्मों के रखरखाव, कृषक प्रजातियाँ आदि के लिये दिया जाता है। यह सब निरूपित(परटीकुलर) हैड के अंतर्गत यह भुगतान किया है तथा वित्तीय वर्ष में अनुदान सहायता प्रदान करने के लिये ऑडिट यूटीलाइजेशन प्रमाण पत्र (एयूसी)/स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेन्डीचर (एसओइ) के अनुसार देय है। कम्प्यूटर ऑडिटर जनरल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध करायी गयी फाईल, रिकार्डों पर आधारित लेखों का समायोजन किया जाता है।</p> <p>ii) प्राधिकरण प्रतिवर्ष डीयूएस समीक्षा बैठक और अधिकारियों द्वारा विभिन्न केन्द्रों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करता है। अक्षय संतुलन के मामले में, प्राधिकरण संबंधित मुख्य जाँचकर्ता (प्रिंसिपल इनवेस्टिगेटर) तथा उत्तरदायी व्यक्तियों से नियमित रूप से एयूसी/एसओई प्राप्त करता है। प्राधिकरण में मानव संसाधनों, तकनीकी और प्रशासनिक और वित्तीय संभाग की कमी के बावजूद गैर उपयोगिता (अनयूटिलाइज्ड) पत्राचार करके प्रतिदाय(रिफन्ड) मंगाता है। प्राधिकरण यद्यपि समीक्षा और एक प्रभावी वित्तीय/तकनीकी कंट्रोल सिस्टम को विकसित कर रहा है जिससे इसमें निगरानी की जा सके और न्यूनतम संभव स्तर पर अवरुद्ध राशि की वसूली की जा सके।</p>


<p><b>3. अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन करने की प्रणाली</b> वर्ष 2015-16 के लिए अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं किया गया।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>
<p><b>4. विषय सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</b> लेखन सामग्री तथा उपभोग योग्य सामग्री आदि का मार्च 2016 तक भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई भौतिक कमी रिपोर्ट नहीं की गई।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>
<p><b>5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता</b> दिनांक 31.03.2016 को वैधानिक देय के मामले में 6 माह से अधिक की अवधि का कोई भुगतान बकाया नहीं था।</p>	<p>तथ्यों का विवरण होने के नाते उत्तर की आवश्यकता नहीं है</p>



**जे.पी. सिंह**  
(वित्तीय सलाहकार)  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



**आर. सी. अहवाल**  
महा पंजीकार  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012



**आर.आर. हंदिनाल**  
अध्यक्ष  
पीपीवी एवं एफआरए, भारत सरकार  
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110012







पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की नई दिल्ली में  
11 नवम्बर, 2016 को आयोजित छब्बीसवीं बैठक में स्वीकृत किया गया  
(कार्यसूची मद संख्या 4)

**पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण**  
एनएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गाँव के सामने,  
नई दिल्ली-110012